अध्याय-II

पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस अध्याय में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा, 'मगरा क्षेत्रीय विकास योजना' की अनुपालना लेखापरीक्षा और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित दो अनुच्छेद शामिल हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

2.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितम्बर 2005 में अधिनियमित किया। राजस्थान में यह अधिनियम प्रारम्भ में छः जिलों में फरवरी 2006 से लागू किया और अप्रैल 2008 तक सभी जिलों में विस्तृत कर दिया गया। अधिनियम को अक्टूबर 2009 से नया नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) दिया गया। अधिनियम के अधीन, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान अधिसूचित की। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हों, मांगने पर वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों का सुनिश्चित श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।

चयनित जिलों में मनरेगा के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि वार्षिक विकास योजना और श्रम बजट को समय पर अनुमोदित नहीं किया गया था और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के लिए कोरम पूरा नही हुआ था, अनुमोदित कार्यों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नही की गई थी। लाइन विभागों के साथ अभिसरण बहुत कम था, जो कि कार्य निष्पादन पर औसत व्यय का केवल 6.53 प्रतिशत था।

योग्य परिवारों की पहचान के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था और जॉब कार्ड को जारी करने के पश्चात् इनका नवीनीकरण नहीं किया गया। इसके अलावा, श्रमिकों को कार्य के मांग पत्र की रसीद नहीं दी गई थी और दिव्यांग व्यक्तियों को केवल 29 से 36 दिवस का कार्य प्रदान किया गया था। कुल मिलाकर 37.05 प्रतिशत कार्य अपूर्ण थे और स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में कमियां थी।

राज्य में औसत रोजगार प्रति परिवार केवल 52.02 दिवस प्रदान किया गया था और 100 दिवस और अधिक का रोजगार केवल 9.91 प्रतिशत परिवारों को प्रदान किया गया था। कुल मिलाकर 15.82 प्रतिशत मस्टर रोल शून्य उपस्थिति वाले थे। श्रमिकों की उपस्थिति दैनिक आधार पर चिन्हित नही की गई एवं इसकी प्रविष्टि नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज नहीं की गयी। अग्रेतर ₹ 704.37 करोड़ की मजदूरी और सामग्री के उत्तरदायित्व लम्बित थे। पेयजल सुविधा को छोड़कर श्रम सुविधाएं और अन्य गारंटीशुदा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी।

वित्तीय प्रबंधन कमजोर था क्योंकि राज्य के अंश को जारी करने मे देरी/कमी थी और अतिरिक्त सामग्री घटक की अत्याधिक धनराशि राज्य रोजगार गारंटी निधि खाते में आपूर्ति नहीं की गई थी। सभी स्तरों पर कर्मचारियों की अत्याधिक कमी थी और जुलाई 2017 तक, 70.86 प्रतिशत पद रिक्त थे।

योजना के क्रियान्वयन में काफी त्रुटियों के बावजूद, सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान बहुत कम टिप्पणियाँ पाई गई। शिकायत तंत्र प्रभावी नही था क्योंकि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत 76.82 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा नही किया गया था। इसके अलावा, कार्यों का आवधिक निरीक्षण नही किया गया था।

2.1.1 परिचय

भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितम्बर 2005 में अधिनियमित किया। राजस्थान में यह अधिनियम प्रारम्भ में छः जिलों[1] में फरवरी 2006 से लागू किया और अप्रैल 2008 तक सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया। अधिनियम को 2 अक्टूबर 2009 से पुनः नामकरण 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) किया गया। अधिनियम के अधीन, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान अधिसूचित की। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों[2] को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, मांगने पर वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों[3] तक का सुनिश्चित श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।

1. जिला : बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरौही और उदयपुर।
2. परिवार का तात्पर्य परिवार के ऐसे सदस्यों से है जो रक्त, विवाह या गोद लेने के रिश्ते से जुड़े हुए हैं और आमतौर पर एक साथ रहते हैं या संयुक्त भोजन बनता है या एक ही कार्ड पर उनके नाम हो।
3. राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 से प्रत्येक वर्ष बारां जिले में 'सहरिया' एवं 'खेरूआ' जनजाति एवं उदयपुर जिले में 'कथोड़ी' जनजाति के परिवारों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की अनुमति दी।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग नोडल संस्था के प्रमुख है। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना और कार्य-संबंधी उत्तरदायित्व ***परिशिष्ट-II*** में दिये गये है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या :

1. योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी योजना थी;
2. परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया, जॉब कार्ड आवंटन और रोजगार आवंटन प्रभावी और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप था;
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यों का निष्पादन समय पर एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण और संधारण उचित रूप से किया गया;
4. योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार और बेरोजगारी भत्ता एवं श्रमिक सुविधाएं अधिनियम के अनुसार प्रदान की गई थी;
5. वित्तीय और जनशक्ति प्रबंधन प्रभावी था; तथा
6. योजना के विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण हेतु तंत्र मौजूद थे।

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मापदण्ड निम्नलिखित पर आधारित थे :

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (अधिनियम) और इस पर संशोधन केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों और दिशा-निर्देश।
- मनरेगा परिचलनात्मक दिशा-निर्देश (2008 और 2013)
- मनरेगा तकनीकी दिशा-निर्देश, 2010
- राजस्थान सरकार के वित्तीय एवं लेखा दिशा-निर्देश, 2011
- राजस्थान सरकार की ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996

2.1.5 लेखापरीक्षा व्याप्ति एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना के अधीन, 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान सम्पादित गतिविधियों को शामिल किया।

33 जिलों में से आठ जिलों का चयन वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान शुरू हुए कार्यों की संख्या, व्यय, परिवारों को जारी जॉब कार्ड, पंजीकृत श्रमिको की संख्या, सक्रिय श्रमिको की संख्या के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम वर्गीकरण के आधार पर किया गया। तदनुसार, तीन जिले (बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूगंरपुर), तीन जिले (भीलवाड़ा, जोधपुर और नागौर) और दो जिले (जयपुर और जालोर) को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणी से चुना गया था। अग्रेतर प्रत्येक चयनित जिले में 25 प्रतिशत पंचायत समितियां कुल 27 पंचायत समितियां और चयनित पंचायत समितियों में 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतें कुल 222 ग्राम पंचायतों का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया। अग्रेतर प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच प्रतिशत कार्यों की विस्तृत जांच/भौतिक सत्यापन और 10 लाभार्थियों से साक्षात्कार का चयन किया गया। विवरण ***परिशिष्ट-III*** में दिया गया है।

लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम ***परिशिष्ट-IV*** में दिए गए है। इसके अलावा सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा कराये गये समाजिक लेखापरीक्षा के दौरान दो ग्राम पंचायतों[4] में लेखापरीक्षा दल पर्यवेक्षक के रुप में उपस्थित था।

एक औपचारिक बैठक शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के साथ 28 मार्च 2017 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, क्षेत्र, उद्देश्य और मानदंडों पर चर्चा की गयी। 20 मार्च 2018 को निर्गम बैठक सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के साथ आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की गई।

2.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उद्देश्य-1: क्या योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी योजना थी

2.1.6.1 वार्षिक विकास योजना

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् विकास योजना तैयार करेगी और योजनान्तर्गत किए जाने वाले संभावित कार्यों की सूची का संधारण करेगी।

4. जिला परिषद, भीलवाड़ा की ग्राम पंचायत दौलतगढ़ (पंचायत समिति आसींद) और चांदरास (पंचायत समिति मांडल)।

प्रत्येक ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ब्लॉक पंचायतों में समेकित और अनुमोदित किया जाएगा। इसी तरह की कार्यवाही जिला स्तर पर भी की जाएगी। अनुमोदित जिला योजना के आधार पर, जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रत्येक कार्य के विस्तृत तकनीकी अनुमानों को तैयार और स्वीकृत करेगा। योजना के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संक्षेपण निम्नानुसार है।

2.1.6.2 ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन हेतु गणपूर्ति का अभाव

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, ग्राम सभा की बैठक हेतु कुल सदस्यों की संख्या का दसवां भाग गणपूर्ति होगा, जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला सदस्य अपनी आबादी के अनुपात में उपस्थित होंगे।

दो सौ बाईस चयनित ग्राम पंचायतों[5] के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 157 ग्राम पंचायतों (70.72 प्रतिशत) में 2012-17 की अवधि के दौरान ग्राम सभा के लिए आयोजित बैठकों में सदस्यों की संख्या के संदर्भ में गणपूर्ति का अभाव पाया गया।

अग्रेतर, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल्यांकन करने के लिए, लेखापरीक्षा दल ने ग्राम पंचायत दौलतगढ़ (पंचायत समिति आसींद) और ग्राम पंचायत चांदरास (पंचायत समिति मांडल) में 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के दौरान की सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को 'पर्यवेक्षक' के रूप में देखा। यह पाया गया कि ग्राम सभा की अध्यक्षता वयोवृद्ध व्यक्ति की बजाय सरपंच द्वारा की गई और एक तटस्थ स्थान के बजाय सरपंच के गांव में ग्राम सभा आयोजित की गई थी।

इस प्रकार, योजना में लक्षित सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित नही की गई थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि संबंधित जिला परिषदों से जानकारी मांगी जा रही है।

2.1.6.3 वार्षिक विकास योजना और श्रम बजट की स्वीकृति में विलम्ब

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 6.9 और प्रधान परिपत्र 2016-17 के अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शक अर्थात् वार्षिक विकास योजना, समेकित वार्षिक विकास योजना और ब्लॉक वार्षिक विकास योजना क्रमशः ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्धारित समयबद्धता के अनुसार अनुमोदित किए जाने थे। इसके अलावा, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा

5. 65 ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नही कराए गए।

प्रत्येक वर्ष जिला वार्षिक योजना और श्रम बजट को अनुमोदन हेतु जिला पंचायत को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाना था। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान :

- जांच की गई कुल 222 ग्राम पंचायतों में प्रकट हुआ कि 176 ग्राम पंचायतों में वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में 356 दिवस तक का विलम्ब हुआ।

- जांच की गई कुल 27 पंचायत समितियों में प्रकट हुआ कि 24 पंचायत समितियों मे ब्लॉक वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में 210 दिवस तक का विलम्ब हुआ।

- जांच की गई कुल आठ जिला परिषदों मे प्रकट हुआ कि छः जिला परिषदों[6] में जिला वार्षिक योजना एवं श्रम बजट के अनुमोदन में 395 दिवस तक का विलम्ब हुआ।

- जिला स्तर पर समेकित श्रम बजट को राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जाना आवश्यक है। आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राजस्थान सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के मनरेगा श्रम बजट को 43 से 75 दिवस के विलम्ब से भेजा गया। इस प्रकार, वर्ष 2012-13 और 2013-14 की निधियों की प्रथम किश्त भारत सरकार द्वारा 14 मई 2012 और 22 अप्रैल 2013 को जारी की गई थी।

2.1.6.4 जिला भावी योजना तैयार करना

राजस्थान सरकार की अधिसूचित मनरेगा योजना के अध्याय 2(9) एवं परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2008 के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार अग्रिम योजना तैयार करने और जिले में भावी विकास हेतु जिला भावी योजना (पांच वर्ष की समय सीमा) तैयार करने का प्रावधान है।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जांच की गई समस्त जिला परिषदो में जिला भावी योजना तैयार नही की गई थी। राजस्थान सरकार (मार्च 2018) ने तथ्य को स्वीकार किया।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) में सचिव ग्रामीण विकास विभाग ने योजना के विभिन्न पहलुओं/योजना का समय-सीमा में निपटान और सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया।

6. जिला परिषद : बाड़मेर, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, जौधपुर एवं नागौर।

2.1.6.5 प्रबंधन सूचना प्रणाली में ग्राम पंचायत-वार कार्यों के विवरण की प्रविष्टि न करना

प्रत्येक वर्ष प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यों की सूची को ग्राम पंचायत-वार पृथक-पृथक कर 15 दिसम्बर तक प्रबंधन सूचना प्रणाली में आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को भेजा जाना चाहिए था। समस्त आठ जिला परिषदों के अभिलेखो की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि समस्त कार्यों को श्रेणीवार प्राथमिकता का उल्लेख एवं परियोजना की सूची की प्रविष्टि प्रबंधन सूचना प्रणाली में नहीं की जा रही थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि श्रम बजट के अनुरूप प्रबंधन सूचना प्रणाली में आकंडों की प्रविष्टि करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.1.6.6 ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर अनुमोदित कार्यों की सूची का प्रदर्शित न करना

मनरेगा की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 25 (ए) (3) के अनुसार, ग्राम पंचायत और लाइन-विभाग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची, वर्षवार प्रारम्भ एवं पूर्ण किए गए कार्य, उपलब्ध कराया गया रोजगार, प्राप्त निधि और व्यय, प्रत्येक कार्य हेतु उपयोग मे ली गई सामग्री मात्रा सहित, सामग्री के क्रय की दर को ग्राम पंचायत कार्यालय के पट्ट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए था।

जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में प्रकट हुआ कि, 220 ग्राम पंचायतों[7] में स्वीकृत कार्यों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नही की गयी थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि अनुमोदित कार्यों की सूची को प्रदर्शित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.1.6.7 मनरेगा के साथ अभिसरण

भारत सरकार ने मनरेगा के साथ अभिसरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए है, जिसमें पंचायतों और अन्य लाइन-विभागों के अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों की स्थाई परिसम्पत्तियां बनाने और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सहायता ली जा सकती है।

(i) राज्य अभिसरण योजना

भारत सरकार ने लाइन-विभागों के साथ परामर्श में चिन्हित किए गए अभिसरण के कुछ संभावित क्षेत्रों को केन्द्रित करते हुए संशोधित राज्य अभिसरण योजना तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश (मई 2014) जारी किए थे। राज्य अभिसरण योजना

7. दो ग्राम पंचायतों भांदासर एवं नेगड़िया के अभिलेख उपलब्ध नही कराए गए।

को राज्य रोजगार गारंटी परिषद या वैकल्पिक रूप से राज्य स्तर पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना था। उक्त निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने (जून 2014) में राज्य में अन्य योजनाओं के साथ मनरेगा अभिसरण के लिए ₹ 747.99 करोड़ (मनरेगा से ₹ 408.12 करोड़ और लाइन-विभागों से ₹ 339.87 करोड़) के अनुमानित व्यय का संशोधित कार्यक्रम भेजा। उक्त राज्य अभिसरण योजना को भारत सरकार द्वारा (26 जून 2014) अनुमोदित किया गया।

आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

- मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग ने लाईन-विभागों को निर्देश (18 जून 2014) दिए कि प्रत्येक लाइन-विभाग से ₹ 20 करोड़ का प्रावधान करके भारत सरकार को एक अस्थायी अभिसरण योजना भेजी जा रही थी। उन्होंने संबंधित विभाग को मुख्य सचिव की मंजूरी के साथ कम से कम ₹ 20 करोड़ का प्रावधान करके वास्तविक अभिसरण योजना प्रस्तुत करने का आग्रह किया। तथापि, वास्तविक अभिसरण योजना तैयार नही की गई। 2015-16 और 2016-17 की राज्य अभिसरण योजना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही करायी गयी। वर्ष 2014-15 की राज्य अभिसरण योजना के विरूद्ध लाइन-विभागों द्वारा मनरेगा निधि से ₹ 191.92 करोड़ रूपये व्यय किए गए थे, यद्यपि, लेखापरीक्षा को लाइन-विभाग का अंशदान उपलब्ध नही कराया गया।

- वर्ष 2016-17 में राजस्थान सरकार द्वारा लाइन-विभागों के मनरेगा के साथ अभिसरण के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य (₹ 3,900 करोड़ लक्षित व्यय वाले 1,352 लाख मानव दिवस) तय किए गए थे। यद्यपि, 2016-17 के दौरान मनरेगा निधि से लाइन-विभागों द्वारा केवल ₹ 304.63 करोड़ (कुल लक्ष्य का 7.81 प्रतिशत) व्यय किया गया था।

(ii) लाइन विभागों के साथ मनरेगा के अभिसरण का क्रियान्वयन

2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों (पंचायती राज संस्थाओं) द्वारा निष्पादित कार्यों पर व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का औसत 93.47 प्रतिशत था। अन्य लाइन-विभागों (पंचायती राज संस्थाओं के अलावा) द्वारा निष्पादित कार्यों पर व्यय मनरेगा के तहत किए गए कुल व्यय का केवल 6.53 प्रतिशत था। मनरेगा के साथ कुछ प्रमुख लाइन-विभागों के अभिसरण पर निम्न **तालिका 2.1** में चर्चा की गई है :

तालिका 2.1

क्र.स.	विभाग	विषय
(i)	लोक निर्माण, जल संसाधन और वन विभाग के साथ अभिसरण	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विकास और वन विभाग को मनरेगा के कुल व्यय में से 15 प्रतिशत कार्य करने का आग्रह किया गया था। 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल आवश्यक अभिसरण 15 प्रतिशत के विरूद्ध वास्तविक औसत अभिसरण केवल 2.69 प्रतिशत (लोक निर्माण विभाग), 1.39 प्रतिशत (जल संसाधन विभाग) और 2.21 प्रतिशत (वन विभाग) का था।
(ii)	कृषि विभाग के साथ अभिसरण	भारत सरकार ने दिशा-निर्देश (जून 2013) जारी किए कि कृषि विभाग की वार्षिक योजना इस तरह से तैयार की जा सकती है कि दोनों योजना एक-दूसरे की पूरक हो। कृषि विभाग द्वारा 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान वास्तविक औसत अभिसरण मनरेगा के तहत किए गए कुल व्यय का केवल 0.01 प्रतिशत था।
(iii)	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के साथ अभिसरण	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं का मनरेगा के साथ अभिसरण करने हेतु राजस्थान सरकार ने मार्च 2015 में '*शामलात पहल योजना*'[8] के दिशा-निर्देश जारी किये। मरनेगा और अन्य योजनाओं का ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग एक ही विभाग द्वारा क्रियान्विति किए जाने के बावजूद 2015-16 और 2016-17 की अवधि के दौरान अभिसरण मनरेगा के अधीन किए गए कुल व्यय के एक प्रतिशत से नीचे था।
(iv)	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के साथ अभिसरण	जांच की गई समस्त जिला परिषदों में न तो नए कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव और न ही किसी भी जलग्रहण प्रबंधन कार्य को वार्षिक विकास योजना में शामिल किया।
(v)	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ अभिसरण	भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण से पूर्व[9] एवं पश्चात्[10] निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए अभिसरण दिशा-निर्देश जारी किए (नवंबर 2013)। जांच की गई समस्त जिला परिषदों में न तो कार्यों की जिले-वार परियोजना तैयार की गई एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इकाई के साथ साझा की गई और न ही अभिसरण का कोई कार्य निष्पादित किया।

8. ग्रामीण विकास विभाग : एमएलएलैड, एमपीलैड, मगरा, मेवात, बीएडीपी, ग्रामीण योगदान योजना, स्वविवेक एवं श्री योजना इत्यादि, पंचायती राज विभाग : बीआरजीएफ, एसएफसी, टीएफसी, संयुक्त निधि योजना, आरजीपीएसए, इत्यादि।
9. पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्य : मिट्टी का कार्य एवं संयोजन/समेकन प्रदान करने वाले कार्य।
10. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पश्चात कार्य स्थायित्व (संधारण) एवं मूल्य वृद्वि कार्य (सड़क के किनारों पर वृक्षारोपण, जल संचयन संरचना)।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रमुख लाइन-विभागों के साथ अभिसरण बहुत कम था। निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया कि "लाइन-विभाग मनरेगा के साथ काम करने को तैयार नही थे। वे मनरेगा की मस्टर-रोल व्यवस्था के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं। तथापि अन्य विभागों एवं शामलात पहल योजना के साथ अभिसरण बढ़ाने के प्रयास किए जायेगें"।

निष्कर्ष

क्रियान्वयन के लिए योजना

मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वार्षिक विकास योजना, जिसे निचले स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदन के माध्यम से तैयार किया जाना था, में समस्त तीन स्तरों पर देरी हुई। अग्रेत्तर वार्षिक विकास योजना की तैयारी में आम लोगों की भागीदारी पर्याप्त नही थी क्योकि 70.72 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सदस्यों की गणपूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को वार्षिक योजना और श्रम बजट देरी से प्रस्तुत किए गए। जिला परिषद स्तर पर पांच वर्षीय जिला भावी योजना भी तैयार नही की गई थी। राज्य अभिसरण योजना, जिसे अन्य लाइन-विभागों के साथ अभिसरण के संभावित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना था, वास्तविक आंकलन के आधार पर नही बनाई गई। 2014-15 में जहां अभिसरण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नही किया जा सका। अन्य विभागों द्वारा निष्पादित कार्यों पर व्यय का औसत प्रतिशत केवल 6.53 प्रतिशत रहा है, जो कि मनरेगा के अधीन किए गए कुल व्यय में बहुत कम अभिसरण दर्शाता है।

अनुशंसाएं

1. राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त स्तरों यथा ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत और जिला, द्वारा योजना की गतिविधियों को समय पर प्रारम्भ और पूर्ण किया जाए ताकि वार्षिक विकास योजना और श्रम बजट को भारत सरकार को भेजने में देरी ना हो साथ ही साथ ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

2. राजस्थान सरकार को अभिसरण कम होने के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो नीति में बदलावों पर विचार करें, जिससे अन्य कार्यक्रम/योजनाओं के उपलब्ध संसाधनों के साथ स्थायी एवं दीर्घकालीन परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके।

उद्देश्य-2: क्या परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया, जॉब कार्ड आवंटन और रोजगार आवंटन प्रभावी और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप था।

2.1.7 जॉब कार्ड और रोजगार आवंटन

2.1.7.1 जॉब कार्ड के पंजीकरण हेतु घर-घर सर्वेक्षण

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 3.1.1 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाना था, ताकि ऐसे पात्र परिवारों का निर्धारण किया जा सके जो छूट गए थे, और अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहते हैं। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-17 की अवधि के दौरान जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों[11] में से 166 ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत होने से छूट गए एवं पंजीकृत हेतु इच्छुक योग्य परिवारों की पहचान नहीं की गई। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि जॉब कार्ड के पंजीकरण के लिए रोजगार दिवस आयोजित किया जा रहा है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे **अनुच्छेद 2.1.7.4** में की गई चर्चा अनुसार यह निर्धारित किया जा सके कि रोजगार दिवसों के दौरान पात्र परिवार पंजीकृत किए गए थे।

2.1.7.2 पांच वर्ष पश्चात् जॉब कार्ड का नवीनीकरण एवं सत्यापन

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II (संशोधित 3 जनवरी 2014) के अनुच्छेद 3 के अनुसार जारी किया गया जॉब कार्ड कम से कम पांच वर्ष के लिए मान्य होगा, तत्पश्चात सत्यापन के उपरान्त नवीनीकृत किया जा सकता है। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 157 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2008 और इसके पश्चात जारी किए गए जॉब कार्ड नवीनीकृत नहीं किए गए थे। 12 ग्राम पंचायतों[12] में जॉब कार्ड नवीनीकृत किए गए और 53 ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि जॉब कार्ड के नवीनीकरण और सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

11. 56 ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
12. 12 ग्राम पंचायतों श्यामपुरा, चिमाना, जॉम्बा, कॉलन सिंह की सीर, नारायणपुरा, भालू राजवा, डेरिया, आउ, देनोक, इन्दों का वास, मोतिया नगर, सियोल नगर, में जॉब कार्ड नवीनीकृत किए गए।

2.1.7.3 समस्त भूमिहीन अस्थिर श्रमिकों के परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध करना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, 2011 के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक भूमिहीन अस्थिर श्रमिक परिवार को जॉब कार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2016)। तद्नुसार, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना परिवारों एवं व्यक्तियों के आकंड़ों को नरेगा-सॉफ्ट के आकंड़ों के साथ प्रतिचित्रण करने के संदर्भ में नरेगा-सॉफ्ट[13] में प्रावधान किया गया, और आकंड़ों को 15 जनवरी 2017 तक सर्वेक्षण कर अद्यतन किया जाना था।

नरेगा-सॉफ्ट में उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली आकंड़ो के अनुसार राज्य में सर्वेक्षित भूमिहीन अस्थिर श्रमिक, प्रतिचित्रण, अप्रतिचित्रण और अप्रतिचित्रण इच्छुक परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने की स्थिति नीचे **तालिका 2.2** में दर्शायी गयी है :

तालिका 2.2

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार नरेगा-सॉफ्ट पर प्रदर्शित गए कुल भूमिहीन अस्थिर श्रमिक	सर्वेक्षित कुल परिवार	असर्वेक्षित परिवार (कॉलम 1-2)	सर्वेक्षित परिवारों से प्रतिचित्रित कुल परिवार	सर्वेक्षित परिवारों से अप्रतिचित्रित परिवार (कॉलम 2-4)	जॉब कार्ड हेतु इच्छुक परिवार	जॉब कार्ड हेतु इच्छुक नही परिवार (कॉलम 5-6)	जॉब कार्ड प्राप्त इच्छुक परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
19,99,505	15,46,964, (77.37 प्रतिशत)	4,52,541 (22.63 प्रतिशत)	9,47,881 (61.27 प्रतिशत)	5,99,083 (38.73 प्रतिशत)	57,811	5,41,272	2,959 (5.12 प्रतिशत)
स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के आकंडे 7 सितंबर 2017 तक							

इस प्रकार, अप्रतिचित्रित 5,99,083 (38.73 प्रतिशत) परिवारों में से कुल 57,811 परिवारों ने जॉब कार्ड की इच्छा जाहिर की थी। तथापि, 7 सितम्बर 2017 तक 2,959 परिवारों (5.12 प्रतिशत) को जॉब कार्ड जारी किए गए और 54,852 इच्छुक भूमिहीन अस्थिर श्रमिक परिवारों को जॉब कार्ड से वंचित रहना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, नरेगा-सॉफ्ट की प्रबंधन सूचना प्रणाली में भूमिहीन अस्थिर श्रमिक परिवारों के आकंड़ों और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पर दर्शाए गए आंकडों में अन्तर पाया गया। परिवारों की संख्या में अंतर (-) 93,388 (अलवर) और (+) 5,134 (जयपुर) के मध्य था। इस प्रकार नरेगा आंकड़ों के साथ सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों का प्रतिचित्रण व्यक्तिगत परिवारों के संदर्भ में सही और पूर्ण नहीं था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि

13. भारत सरकार ने कार्य प्रवाह पर आधारित वेब एनेबल्ड एप्लीकेशन विकसित की थी जिसके द्वारा नरेगा की समस्त गतिविधियों को केन्द्र/राज्य/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर अभिग्रहण करना था।

भूमिहीन अस्थिर श्रमिक परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

2.1.7.4 कार्य के लिए आवेदन-पत्र

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 3.2 के अनुसार, कार्य के लिए आवेदन-पत्र सादा कागज या मुद्रित प्रोफार्मा पर जो कि ग्राम पंचायतों पर नि:शुल्क उपलब्ध होगें। कार्य के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था को ग्राम पंचायत द्वारा पदनामित विविध माध्यमों[14] से सतत् रूप से जारी रखा जाएगा। ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी, जैसा प्रकरण हो, कार्य के लिए वैध आवेदन-पत्र स्वीकार करने और आवेदक को दिनांकित रसीद जारी करने के लिए बाध्य होगें। कार्य के लिए संयुक्त आवेदनों के प्रकरणों में, ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदक को कार्य आवेदन की अलग-अलग दिनांकित रसीद जारी की जानी थी। मनरेगा अधिनियम के अनुसूची-I के अनुच्छेद 8 के अनुसार, मौखिक या लिखित रूप में कार्य की मांग करने पर जॉब कार्ड धारक को किसी भी वार्ड या ग्राम पंचायत स्तर पर माह में कम से कम एक बार आयोजित रोजगार दिवस पर पंजीकृत किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा, साथ ही साथ भौतिक सत्यापन और श्रमिकों से साक्षात्कार में पाया गया कि :

- जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 99 ग्राम पंचायतों में विविध माध्यमों पर कार्य आवेदन फार्म उपलब्ध न होने के कारण लाभार्थी अपनी मांग को ठीक ढंग से पंजीकृत कराने में समर्थ नहीं थे।

- जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 170 ग्राम पंचायतों के समूह में कार्य आवेदन-पत्र मेट[15] के माध्यम से जमा किए गए थे लेकिन ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदक को कार्य आवेदन की दिनांकित प्राप्ति पृथक-पृथक जारी नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा 218 ग्राम पंचायतों में आयोजित 2,180 लाभार्थियो के सर्वेक्षण में पाया गया कि 78 प्रतिशत लाभार्थियों को कार्य की मांग ***(परिशिष्ट-IV)*** के संबंध में रसीद नहीं दी गयी इससे कार्य की मांग की रसीद प्राप्त करने के श्रमिकों को दिए गए अधिकार का उद्देश्य विफल रहा।

- जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 170 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस के आयोजन से संबंधित अभिलेख (कार्य की मांग, पंजीकरण इत्यादि) संधाारित/उपलब्ध नहीं थे और लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सके।

14. वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सदस्य, स्कूल अध्यापक, स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तर राजस्व कार्यकर्ता, सामान्य सेवा केन्द्र।
15. कार्य स्थल सहायक।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

2.1.7.5 रोजगार आंवटन

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II का अनुच्छेद 16 उपबन्धित करता है कि आवेदक जिसे कार्य आवंटित किया गया है, को लिखित सूचना उसके जॉब कार्ड के पते पर पत्र द्वारा दी जाएगी या ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर के कार्यालय पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जायेगी। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 17 के अनुसार व्यक्तियों की सूची जिन्हें कार्य आवंटित किया गया है, को ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट एवं कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि:

(i) नमूना जांच 222 ग्राम पंचायतों में से 168 ग्राम पंचायातों में प्रत्येक आवेदक को कार्य आवंटित करने की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रदान नही की गई थी। यह भी देखा गया कि व्यक्तियों की सूची जिन्हें कार्य प्रदान किया गया, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं की गयी थी। जिसका कार्यस्थल पर श्रमिकों की अनुपस्थिति में भी योगदान हो सकता था, क्योंकि 15.82 प्रतिशत मस्टर रोल में श्रमिकों की शून्य उपस्थिति रही, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है :

(ii) शून्य उपस्थिति के मस्टर रोल

राज्य में 2013-14 से 2016-17 के दौरान, अकुशल श्रमिकों के लिए जारी किए गए 1,27,93,428 मस्टर रोल में से 15.82 प्रतिशत मस्टर रोल निम्न **तालिका 2.3** के अनुसार शून्य उपस्थिति के रहे :

तालिका 2.3

वर्ष	अकुशल हेतु मस्टर रोल की संख्या			
	जारी	उपस्थिति दर्ज	शून्य उपस्थिति दर्ज	कुल भरे मस्टर रोल
2013-14	25,97,211	22,11,348	3,68,538	25,79,886
2014-15	26,63,365	21,96,272	4,36,488	26,32,760
2015-16	35,24,124	29,34,078	5,63,573	34,97,651
2016-17	40,08,728	32,27,469	6,55,634	38,83,103
योग	**1,27,93,428**	**1,05,69,167**	**20,24,233**	**1,25,93,400**
प्रतिशत		**82.61**	**15.82**	**98.43**
स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट पर प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़े				

(iii) जांच की गई समस्त 27 पंचायत समितियों एवं नरेगा-सॉफ्ट पर उपलब्ध जानकारी के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

- ***दैनिक उपस्थिति को अंकित न करना :*** कार्यस्थल पर मेट द्वारा प्रतिदिन उपस्थिति को अंकित करके मस्टर रोल का संधारण किया जा रहा था, परन्तु दैनिक उपस्थिति का विवरण संगणक प्रणाली में दैनिक आधार पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों की उपस्थिति केवल मजदूरी सूची तैयार करते समय ही अंकित की जा रही थी। अग्रेत्तर, चाकसू ब्लॉक (जिला परिषद जयपुर) में भी देखा गया था, कि श्रमिकों की उपस्थिति लगातार अवकाशों में भी अंकित की गई थी।

- ***मस्टर रोल का श्रमिको द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न होना :*** नियमानुसार मस्टर रोल समापन के अंतिम दिवस पर मस्टर रोल प्रत्येक श्रमिक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा था।

- ***अपूर्ण मस्टर रोल नियंत्रण रजिस्टर:*** पंचायत समिति स्तर पर एक मस्टर रोल नियंत्रण रजिस्टर का संधारण किया जा रहा था। यद्यपि, वित्तीय स्वीकृति, मस्टर रोल प्राप्तकर्ता के नाम और हस्ताक्षर, मस्टर रोल जमा करने की दिनांक, मस्टर रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक को सौंपने की दिनांक इत्यादि निर्दिष्ट प्रविष्टियां रजिस्टर में अपूर्ण थी।

- ***श्रमिकों के समूह द्वारा बिल या वाउचर के सत्यापन/प्रमाणीकरण न किया जाना :*** कार्यस्थल पर श्रमिकों के समूह द्वारा साप्ताहिक सत्यापन और बिल या वाउचर के प्रमाणीकरण का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया कि राजस्थान सरकार श्रमिकों को कार्य आवंटन की सूचना मोबाईल फोन पर लघु संदेश सेवा (एसएमएस) द्वारा दिए जाने की योजना बना रही है। विभाग शून्य उपस्थिति मस्टर रोल को कम करने के प्रयास भी कर रहा है।

(iv) परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अध्याय 9 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को एक समन्वयक (कमजोर समूह) के रूप में नामित करना चाहिए जो विशेष श्रेणियों की मांग एवं आवश्यकताओं का विशेष रूप से देखभाल करेगा और उक्त को मनरेगा कार्यों में समावेश करने के लिए योग्य शर्तों को तैयार करेगा।

वर्ष 2012-17 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों में से 16.33 से 26.76 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों पर ही विचार किया गया था, इस प्रकार दिव्यांग व्यक्तियों को औसतन केवल 29 से 36 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

अग्रेतर, जांच की गई जिला परिषदों में किसी भी जिला परिषद में कोई भी समर्पित अधिकारी, एक समन्वयक (कमजोर समूह) के रूप में विशेष श्रेणियों की

मांग और आवश्यकताओं की विशेष रूप से देखभाल करने और मनरेगा कार्यों में शामिल करने हेतु योग्य शर्तों को तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नामित नहीं किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि यथोचित निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है।

निष्कर्ष

जॉब कार्ड और रोजगार आवंटन

योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार जो छूट गए थे और पंजीकृत होना चाहते है, का निर्धारण करने के लिए, घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा, जॉब कार्ड जारी होने के पश्चात नवीनीकृत नहीं किए गए थे। इच्छुक भूमिहीन परिवारों की पहचान कर जॉब कार्ड जारी करने के लिए सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ था। कार्य आवेदन करने के लिए फॉर्म की अनुपलब्धता के कारण, श्रमिक अपनी कार्य की मांग पंजीकृत नहीं करा पाए। अग्रेतर, श्रमिकों को उनकी मांग के लिए रसीद नहीं दी गई थीं और कार्य आवंटित किए जाने पर भी उन्हें सूचित नहीं किया गया था। पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों को केवल 29 से 36 दिवस का औसत कार्य प्रदान किया गया था।

कुल 1,27,93,428 मस्टर रोल जारी किए गए, जिसमें 15.82 प्रतिशत मस्टर रोल श्रमिकों की शून्य उपस्थिति वाले थे। मस्टर रोल नियंत्रण रजिस्टर उचित प्रकार से संधारित एवं मस्टर रोल को प्रत्येक श्रमिक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था। सूचना प्रबंधन प्रणाली में मजदूरों की उपस्थिति को न तो दैनिक आधार पर अंकित नहीं किया जा रहा था और न ही तिथिवार उपस्थिति दर्ज की गई थी।

अनुशंसाएं

3. योजना के अन्तर्गत कार्य आवंटन पर विचार करने के लिए पात्र परिवारों का पंजीकरण, पूर्व अपेक्षित शर्त थी। राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो परिवार पंजीकृत होना चाहते है, की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित आधार पर सर्वेक्षण कराया जाए।

4 राजस्थान सरकार को जॉब कार्ड का नवीनीकरण और सत्यापन समय पर सुनिश्चित करना चाहिए।

5 राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य आवेदन पत्र उपलब्ध हों, ताकि श्रमिक आसानी से कार्य की मांग को पंजीकृत करा सके।

उद्देश्य-3: क्या मनरेगा कार्यों को समय पर निष्पादित और स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं संधारण उचित रूप से किया गया था।

2.1.8 कार्यों का निष्पादन

2.1.8.1 अपूर्ण कार्य

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010[16] के अनुच्छेद 22.10 के अनुसार, कार्य कार्यकारी अभिकरण द्वारा नौ महीने की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। राज्य में आरम्भ से 2016-17 तक कुल 15,77,141 कार्य शुरू किए गए, इनमें से 5,84,321 (37.05 प्रतिशत) कार्य 7 जुलाई 2017 तक अपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त 2,54,184 अपूर्ण कार्य 2015-16 या पूर्व की अवधि से संबंधित थे। इसके अलावा चार जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और पाली) में कार्य पूर्ण होने की दर 50 प्रतिशत से कम थी। चूंकि मनरेगा के अन्तर्गत अधिकांश कार्य जल संरक्षण, सिंचाई और भूमि विकास से संबंधित है इसलिए उनकी धीमी प्रगति गांवों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस प्रकार इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए सावधानीपूर्वक अनुश्रवण करने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि 2016 तक स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.8.2 स्वीकृति जारी में विलम्ब

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 का अनुच्छेद 22 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु 10 दिवस निर्धारित करता है। जांच की गई चार जिला परिषदों[17] के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जिला परिषद ने निर्धारित समय-सीमा में वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की और इसमें 232 दिवस तक का विलम्ब हुआ। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर पर स्वीकृतियां समय पर जारी करने के लिए संबंधित जिला परिषदों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

16. राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 27 मई 2010 के अनुसार केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुसार किया जाएगा।
17. जिला परिषद जयपुर : कार्यों की संख्या - 40 (14 से 190 दिवस का विलम्ब), बाड़मेर : कार्यों की संख्या - आठ (39 से 232 दिवस का विलम्ब), डूंगरपुर : कार्यों की संख्या - 52 (38 से 104 दिवस का विलम्ब) और जोधपुर : कार्यों की संख्या - 52 (33 से 197 दिवस का विलम्ब)।

2.1.8.3 मजदूरी भुगतान के लिए कार्यों की माप

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 का अनुच्छेद 7.10.1 (iii) उपबन्धित करता है कि मनरेगा के अन्तर्गत कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व, कार्य के सुगम निष्पादन, मापन और कामगारों को मजदूरी की उचित गणना करने के लिए कामगारों को चार से छः व्यक्तियों के समूहों में बांट दिया जाना चाहिए। माप पुस्तिका में दर्ज माप से कार्य के मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिए उसे नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज करने की आवश्यकता है। नरेगा-सॉफ्ट पर उपलब्ध सूचना एवं नमूना जांच 27 पंचायत समितियों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

(i) इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तिका का उपयोग करके माप पुस्तिका का कंप्यूटरीकरण मजदूरी भुगतान के लिए नहीं किया जा रहा था और नरेगा-सॉफ्ट में सम्पत्ति पंजिका में केवल माप पुस्तिका के क्रमांक का उल्लेख किया जा रहा था।

(ii) यद्यपि एक कार्य करने के लिए कार्यस्थल पर विभिन्न समूहों का गठन किया गया था, लेकिन प्रत्येक समूह के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों पर विचार किए बिना श्रमिकों को भुगतान समान रूप से वितरित किया जा रहा था और विभिन्न समूहों के प्रदर्शन का अलग से पृथक मूल्यांकन किए बिना सदस्यों को मजदूरी का भुगतान समान रूप से किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, यदि एक समूह ने 20 प्रतिशत कार्य किया और दूसरे समूह ने 80 प्रतिशत कार्य किया, तो दोनों समूह को प्रत्येक समूह के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा पर विचार किए बिना समान रूप से भुगतान किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि नरेगा-सॉफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तिका को अपलोड करने और समूह कार्य के आधार पर श्रमिकों को भुगतान किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1.8.4 मनरेगा के अन्तर्गत सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का संयुक्त भौतिक सत्यापन

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I के अनुच्छेद 3(ए) के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित गुणवत्ता और स्थायी उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना था। 27 पंचायत समितियों की 222 ग्राम पंचायतों में 670 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों के साथ अप्रैल-अक्टूबर 2017 में आयोजित किया गया था।

(क) जांच की गई सात जिला परिषदों[18] में तालाब/ तलाई/ बावडी/ नाडा/ नाडी/ नदी/ जोहड़/ नाला/ माईनर/ केनाल/ नहर/ एनीकट के निर्माण से संबंधित 40 कार्य मार्च 2008 और मई 2016 के बीच स्वीकृत किए गए और अक्टूबर

18. बाड़मेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, जोधपुर एवं नागौर।

2012 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹ 3.73 करोड़ व्यय कर पूर्ण किए गए। 40 कार्यों के ***(परिशिष्ट-V)*** संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गई :

- तालाब में असमान गड्ढे थे, जो कि असुरक्षित थे।
- पत्थर लगाना/सुरक्षा दीवार कार्यों को निष्पादित नहीं किया गया था।
- कार्य स्थल पर प्रदर्शन पट्ट उपलब्ध नही थे।

कुछ मामलों का विवरण निम्न प्रकार है:

1: ग्राम मुंद्राहेड़ी, ग्राम पंचायत हरिपुरा (पंचायत समिति चाकसू)		
कार्य का नाम	तालाब खुदाई दयालसागर मुंद्राहेड़ी	
स्वीकृत राशि	₹ 9.97 लाख	
व्यय	₹ 8.03 लाख	
कार्य पूर्ण	6 जुलाई 2016	
भौतिक सत्यापन	30 मई 2017	
टिप्पणियां	तालाब की मिट्टी की दीवार (पाल) एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसने तालाब में जल संग्रहण करने की संभावना को रोक दिया था और इस प्रकार तालाब के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।	
प्रकरण 2: ग्राम पंचायत चतरपुरा (पंचायत समिति आसींद), भीलवाड़ा		
कार्य का नाम	रामपुर की सीमा पर जल-संरक्षण ढ़ांचे का निर्माण	
स्वीकृत राशि	₹ 9.51 लाख	
व्यय	₹ 4.92 लाख	
कार्य पूर्ण	31 मार्च 2017	
भौतिक सत्यापन	14 सितम्बर 2017	
टिप्पणियां	केवल कच्चा कार्य किया गया/संरचना में जल नहीं था और इसका कोई भराव क्षेत्र नही था।	
प्रकरण 3: ग्राम पंचायत कुम्हारियावास (पंचायत समिति चाकसू)		
कार्य का नाम	तालाब खुदाई, सुरक्षा दीवार और पत्थर पिंचिग कार्य	
स्वीकृत राशि	₹ 14.00 लाख	
व्यय	₹ 8.68 लाख	
कार्य पूर्ण	15 मई 2013	
भौतिक सत्यापन	13 जून 2017	
टिप्पणियां	केवल मिट्टी कार्य निष्पादित किया गया था। पत्थर पिचिंग और सुरक्षा दीवार का कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। इसके अलावा, तालाब में असमान खाई के समान गड्ढे थे।	

प्रकरण 4: ग्राम पंचायत सिवाना, पंचायत समिति-सिवाना		
कार्य का नाम	राडिया वाला में राता नाडी के निर्माण का कार्य	
स्वीकृत राशि	₹ 12.79 लाख	
व्यय	₹ 12.59 लाख	
कार्य पूर्ण	मार्च 2013	
भौतिक सत्यापन	28 जुलाई 2017	
टिप्पणियां	नाडी को 4.5 मीटर गहराई तक खोदा जाना था, जबकि खुदाई केवल 0.3 मीटर तक की गई थी। इसलिए नाडी खोदने का उद्देश्य विफल रहा क्योंकि मानसून के मौसम में भी नाडी में जल नहीं था।	
प्रकरण 5: ग्राम पंचायत गोलिया, पंचायत समिति-सिवाना		
कार्य का नाम	खुरीश्वर नाडी की खुदाई का कार्य	
स्वीकृत राशि	₹ 9.93 लाख	
व्यय	₹ 9.67 लाख	
कार्य पूर्ण	जुलाई 2015	
भौतिक सत्यापन	26 जुलाई 2017	
टिप्पणियां	पर्वत की नींव पर नाडी का निर्माण किया गया था, तथापि वर्तमान में कोई संरचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ऐसा लगता था कि वह बह गया। इस प्रकार जल संरक्षण के लिए नाडी के निर्माण का उद्देश्य विफल रहा।	

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि उपचारात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित को निर्देश जारी किए गए हैं।

(ब) पंचायत समिति कुशलगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण के तीन कार्यों (प्रत्येक कार्य में 10,000 पौधे) को (गड्ढे खोदने, पौधरोपण, चेक बांध का निर्माण और इन पौधों के रख-रखाव को सम्मिलित करते हुए) ₹ 0.99 करोड़[19] में ग्राम पंचायत मोहकमपुरा, बस्सी और झींकली में (जुलाई 2012) में स्वीकृत किए गए और पौधों के रोपण और खुदाई पर ₹ 0.43 करोड़[20] का व्यय किया गया था। वन विभाग (क्रियान्वयन विभाग) द्वारा उक्त कार्य पांच वर्षों के अंतराल के पश्चात् भी मई 2017 तक प्रगति पर दर्शाया गया था।

पांच वर्ष के अंतराल के पश्चात् कोई भी पौधा जीवित नहीं पाया गया, इस प्रकार से वृक्षारोपण का उद्देश्य विफल रहा।

19. ग्राम पंचायत : मोहकमपुरा (₹ 21.23 लाख-जुलाई 2012), बस्सी (₹ 45.58 लाख-जुलाई 2012) और झींकली (₹ 31.92 लाख-मई 2012)।
20. ग्राम पंचायत : मोहकमपुरा (व्यय ₹ 13.41 लाख-अप्रैल 2016), बस्सी (₹ 12.01 लाख-मई 2014) और झींकली (₹ 17.52 लाख-मई 2016)।

10,000 पौधें लगाने का कार्य सुंदरीपुरा, ग्राम पंचायत मोहकमपुरा (पंचायत समिति कुशलगढ़)	*कुल 50 हेक्टर में 10,000 पौधें लगाने का कार्य चोरवाड़, ग्राम पंचायत बस्सी (पंचायत समिति कुशलगढ़)*	*10,000 पौधें लगाने का कार्य ग्राम पंचायत झींकली (पंचायत समिति कुशलगढ़)*

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।

(स) जिला परिषद, चितौड़गढ़ में पांच प्रकार के फलों के पौधे '*पंच फल योजना*' के 10 कार्य ₹ 2.64 करोड़ (पंचायत समिति, डूंगला के लिए मई 2011 एवं मार्च 2012 में ₹ 1.55 करोड़ + पंचायत समिति राशमी के लिए जून 2011 एवं जनवरी 2014 में ₹ 1.09 करोड़) के चारागाह भूमि पर स्वीकृत किए गए। कार्यों में गड्ढे खोदना, बाड़ लगाना, वृक्षारोपण, पौधों को पानी देना और पौधों का रख-रखाव सम्मिलित था और कार्यों को पांच वर्षो में पूर्ण किया जाना था। मार्च 2017 तक पंचायत समिति डूंगला के छः वृक्षारोपणों और पंचायत समिति राशमी में चार वृक्षारोपणों पर ₹ 0.83 करोड़[21] का व्यय किया गया था। एक भी फल का पौधा उपलब्ध नहीं पाया गया। इस प्रकार, पांच वर्षो में ₹ 0.83 करोड़ के व्यय के पश्चात भी, '*पंच फल योजना*' निष्फल रही।

(द) वृक्षारोपण द्वारा 'चारागाह भूमि के विकास' के दो कार्यों को जून 2013 और मई 2015 के दौरान ₹ 0.17 करोड़[22] में ग्राम पंचायत भीमदीयावास और चिताम्बा (पंचायत समिति, मांडल) में स्वीकृत किया गया। कार्य ₹ 0.16 करोड़[23] के व्यय के साथ अगस्त 2016 में पूर्ण हुए। यह पाया गया कि वृक्षारोपण कार्यों को निष्पादित नहीं किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

(य) जिला परिषद, भीलवाड़ा और जोधपुर में चरागाह भूमि की मेडबंदी के निर्माण के दो कार्य ₹ 0.16 करोड़ के स्वीकृत (मई 2015) एवं पूर्ण (मई 2016) हुए।

21. पंचायत समिति : डूंगला (₹ 0.41 करोड़) एवं राशमी (₹ 0.42 करोड़)।
22. ग्राम पंचायत : भीमदियावास (₹ 9.17 लाख-जून 2013) एवं ग्राम पंचायत चिताम्बा (₹ 8.48 लाख-मई 2015)।
23. ग्राम पंचायत, भीमदियावास : ₹ 8.13 लाख (अप्रैल 2016) एवं ग्राम पंचायत चिताम्बा : ₹ 8.08 लाख (अगस्त 2016)।

यह पाया गया कि दोनों कार्य विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गए थे और मवेशी चारागाह (चारागाह भूमि) के अंदर चराई कर रहे थे। इस प्रकार, चारागाह में मेडबंदी के निर्माण का उद्देश्य ₹ 0.14 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं हुआ।

(र) जिला परिषद, बांसवाड़ा और जयपुर में पक्का फर्श, मूत्र टैंक, मवेशियों और बकरी हेतु चारा और आश्रय स्थल के चार कार्यों के लिए ₹ 4.74 लाख[24] स्वीकृत (सितम्बर 2013 से मई 2017) और ₹ 3.31 लाख व्यय किए गए।

यह पाया गया था कि पक्का फर्श, मूत्र टैंक और मवेशियों के लिए चारे के स्थान पर आवासीय उद्देश्य के लिए एक कमरा बनाया गया था जो कि मनरेगा के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं था। अग्रेतर यह भी पाया गया कि बकरी आश्रय स्थल का निर्माण रूपरेखा के अनुरूप नहीं किया गया था। इसके अलावा निर्मित संरचना को बकरी स्थल के स्थान पर भण्डार कक्ष के रूप में उपयोग किया जा रहा था, जो कि मनरेगा के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं था।

	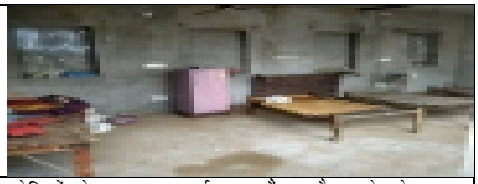
बकरी आश्रय स्थल का निर्माण लाभार्थी चुन्नीलाल/बोदूराम बलाई के लिए ग्राम पंचायत लखना में (पंचायत समिति सांगानेर)	मवेशियों हेतु पक्का फर्श, मूत्र टैंक और चारे के स्थान का निर्माण लाभार्थी पांचू राम/ग्यारसा के लिए ग्राम पंचायत झापदा कलां (पंचायत समिति चाकसू)

(ल) जिला परिषद भीलवाड़ा, डूंगरपुर और जोधपुर में ग्रेवल सड़क के निर्माण के 18 कार्य मार्च 2008 से अक्टूबर 2016 के दौरान ₹ 2.49 करोड़ में स्वीकृत और ₹ 1.50 करोड़ के व्यय के साथ जुलाई 2012 से अगस्त 2017 के दौरान पूर्ण हुए। यह पाया गया कि किसानों द्वारा ग्रेवल सड़कों पर अतिक्रमण/अवरोध किया गया था जिससे अधिनियम में निहित गावों को जोड़ने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। यह इंगित करता है कि कार्यों को स्वीकृत करने से पूर्व विभाग द्वारा सड़क क्षेत्र का आवश्यक सीमांकन नहीं किया गया।

24. पंचायत समिति, आनन्दपुरी (दो कार्य) : ग्राम पंचायत छाजा (गणेश/गंजी में पशु आश्रय स्थल का निर्माण : ₹ 1.50 लाख (सितम्बर 2013) – व्यय ₹ 1.38 लाख (जून 2015) संतुकपुरा में पशु आश्रय स्थल का निर्माण : ₹ 1.50 लाख (सितम्बर 2013) – व्यय ₹ 1.37 लाख (जून 2015), पंचायत समिति चाकसू – झापदाकलां (पांचूराम/ग्यारसा में पशु आश्रय स्थल का निर्माण : ₹ 1.29 लाख (सितम्बर 2016) – व्यय ₹ 0.13 लाख (मार्च 2017), पंचायत समिति सांगानेर – ग्राम पंचायत लखाना (चून्नी लाल/बोधूराम में बकरी आश्रय स्थल का निर्माण – ₹ 0.45 लाख (मार्च 2017) – व्यय ₹ 0.43 लाख (मई 2017)।

ग्रेवल सड़क का निर्माण शम्भूलाल नाई के मकान से लक्ष्मण/केरंग होकर भगोरा चौराहा तक (कार्य पूर्णता तिथि जुलाई 2012)	*गणेश नगर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रोड़ रामरख भोपा की ढाणी तक ग्राम पचायतं-जांबा (पंचायत समिति बाप) जिला परिषद जोधपुर निर्मित ग्रेवल सड़क को फेंसिग कर अवरूद्ध/अतिक्रमण किया गया (कार्य पूर्णता तिथि अक्टूबर 2015)*

(व) जिला परिषद भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और नागौर में ग्रेवल सड़कों के निर्माण के 27 कार्य ₹ 4.28 करोड़ में स्वीकृत (मार्च 2009 से दिसम्बर 2015) और ₹ 1.31 करोड़ में पूर्ण (मार्च 2013 से मार्च 2017) हुए।

यह पाया गया कि केवल मिट्टी के कार्यों को निष्पादित किया गया और ग्रेवल नहीं बिछायी गई। इस प्रकार मिट्टी के कार्य पर हुआ व्यय ₹ 1.31 करोड़ निष्फल रहा और जोड़ने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(i) तकनीकी दिशा-निर्देश 2010 की अनुसूची-I की धारा 17 अनुबंधित करती है कि, ग्रेवल सड़क 20 सेंटीमीटर की मोटाई में बिछायी जानी चाहिए और इसकी मोटाई व्यवस्थित करने के पश्चात 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिला परिषद जालोर की पंचायत समिति चितवालाना और जिला परिषद नागौर की पंचायत समिति जायल और मकराना में ग्रेवल सड़कों के निर्माण के आठ कार्य ₹ 0.97 करोड़ में स्वीकृत (अप्रैल 2010-मार्च 2016) और ₹ 0.81 करोड़ व्यय कर (मई 2013-जुलाई 2016) पूर्ण हुए।

आठ ग्रेवल सड़कों (14,096 मीटर की कुल लम्बाई) में 8,810 घन मीटर ग्रेवल की कुल आवश्यकता के समक्ष 11,331.55 घन मीटर की ग्रेवल का उपयोग माप पुस्तिका में दर्शाया गया। जबकि, ग्रेवल सड़कों पर केवल 7,440.42 घन मीटर सामग्री का उपयोग किया गया था। इस प्रकार 3,891.13 घन मीटर (अर्थात 11,331.55 - 7,440.42) की अतिरिक्त ग्रेवल सामग्री माप पुस्तिका में दर्ज की गई थी।

2.1.8.5 गैर-अनुमत्य कार्यों का निष्पादन

(i) वन क्षेत्र में पक्की चार दीवारी का निर्माण

तकनीकी दिशा-निर्देश 2010 के परिशिष्ट के अनुच्छेद 20 और 21 उपबन्धित करते है कि, वन क्षेत्र में अवैध चराई और अतिक्रमण को रोकने हेतु शुष्क पत्थर चिनाई दीवार का निर्माण किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने अग्रेत्तर स्पष्ट किया (जून 2015) कि मनरेगा के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पक्की दीवार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पंचायत समिति जसवंतपुरा, जिला परिषद जालोर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि गोलाणा गांव की वन रैंज ग्राम पंचायत कलापुरा में 'पर्यावरण संतुलन और भूजल संरक्षण कार्य' हेतु ₹ 40.71 लाख स्वीकृत (अगस्त 2014) किए। जिसमें से, तकनीकी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर, वन विभाग द्वारा पक्की चार दीवार के निर्माण पर ₹ 10.29 लाख खर्च किए गए थे।

(ii) नहर के साथ-साथ ग्रेवल कार्य

राजस्थान सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत नहरों के साथ-साथ ग्रेवल कार्य के निर्माण की अनुमति नहीं दिए जाने के निर्देश जारी किए (नवंबर 2010)। पंचायत समिति जसवंतपुरा के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ग्राम पंचायत थुर में बांदीसिंधरा बांध के वार्षिक रख-रखाव और मरम्मत के कार्य के लिए ₹ 36.06 लाख स्वीकृत (दिसंबर 2012) किए। स्वीकृति में ₹ 5.40 लाख नहर के साथ-साथ ग्रेवल कार्य के भी सम्मिलित थे जिसमें से ₹ 3.64 लाख का व्यय नहर के पास ग्रेवल बिछाने पर किया गया। उपरोक्त कार्य तकनीकी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर जल संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि दोषी अधिकारियों से वसूली और कार्यवाही के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

निष्कर्ष

मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों में विलम्ब हुआ, क्योंकि 2016-17 तक 15,77,141 कार्य प्रारम्भ हुए जिसमें से 5,84,321 कार्य (37.05 प्रतिशत) जुलाई 2017 तक पूर्ण नहीं हुए थे।

लेखापरीक्षा दलों द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित स्थायी परिसम्पत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में तालाबों, वृक्षारोपण, चरागाह भूमि के विकास, ग्रेवल सड़कों इत्यादि के निर्माण में कई कमियां पायी गई। इससे मनरेगा के माध्यम से स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण का उद्देश्य विफल रहा।

अनुशंसाएं

6. राजस्थान सरकार को अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के उपायों को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ करना चाहिए जिससे इन परिसम्पत्तियों से समुदाय लाभान्वित हो सके।

7. स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में कई कमियां पायी गई, इसलिए राजस्थान सरकार को उन उपायों को प्रारम्भ करना चाहिए जिससे स्थायित्व के लिए उच्च गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियां तैयार हों और उनका दीर्घावधि तक रख-रखाव किया जा सके।

उद्देश्य-4: क्या योजना के अन्तर्गत 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रदान किया गया था और बेरोजगारी भत्ता और श्रम सुविधाएं अधिनियम के अनुसार प्रदान की गई थी।

2.1.9 मनरेगा के अन्तर्गत प्रदान किया गया रोजगार

अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का सुनिश्चित श्रम रोजगार प्रदान करना था। वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान राज्य के जिलों में मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत परिवारों, सक्रिय जॉब कार्ड और प्रदान किए गए रोजगार की स्थिति निम्न **तालिका 2.4** में दर्शायी गयी है :

तालिका 2.4

वर्ष	जॉब कार्ड परिवार		कुल उपस्थिति का प्रतिशत मध्य में							कुल उपस्थिति		प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस
	पंजीकृत	सक्रिय	1-10 दिवस	11-20 दिवस	21-30 दिवस	100 दिवस तक	101-150 दिवस	सुखा प्रभावित क्षेत्रों में (101-150) दिवस	150 दिवस से ज्यादा	संख्या (लाखों में)	संख्या (लाखों में)	
	(लाखों में)		परिवार								सृजित व्यक्ति दिवस	
2013-14	98.30	55.71	9.24	14.29	13.34	1.30	10.54	0.00	0.50	36.15	1838.56	50.86
					36.87		**11.84**					
2014-15	98.46	53.12	10.17	15.16	13.67	5.05	2.55	0.00	0.03	36.86	1685.83	45.74
					39.00		**7.60**					
2015-16	99.19	60.06	6.38	11.11	11.36	6.09	4.93	3.68	0.09	42.21	2341.25	55.47
					28.85		**11.02**					
2016-17	95.50	60.77	5.65	10.62	11.39	3.31	5.87	5.72	0.03	46.35	2596.82	56.03
					27.66		**9.18**					
औसत							**9.91**					**52.02**

स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट पर प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल औसत रोजगार प्रति परिवार केवल 52.02 दिवस था।

- औसत 9.91 प्रतिशत परिवारों को 100 दिवस एवं अधिक दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि मनरेगा मांग संचालित कार्यक्रम है और मांग के अनुसार कार्य प्रदान किया गया था। प्रत्युत्तर स्वीकार्य

नहीं था क्योंकि 218 ग्राम पंचायतों के 2,180 लाभार्थियों से किए गए सर्वेक्षण में 67 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि कार्य केवल तभी प्रदान किया गया जब उपलब्ध था न कि मांग के आधार पर (***परिशिष्ट-IV***)। इस प्रकार श्रमिकों द्वारा मांग किए जाने पर पर्याप्त रोजगार वास्तव में उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे।

2.1.9.1 मनरेगा के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों को प्रदाय रोजगार

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II के अनुसार, कार्य के आवंटन में महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जाएगी कि लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाऐं हों जिन्होंने कार्य के लिए पंजीकरण और अनुरोध किया है। प्रबंधन सूचना प्रणाली की जांच से प्रकट हुआ कि 2012-17 की अवधि के दौरान, योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों की भागीदारी अच्छी रही जो कि 67.03 प्रतिशत एवं 69.02 प्रतिशत के मध्य थी साथ ही क्रमशः 36 और 43 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया था। इस प्रकार राज्य में महिला लाभार्थियों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी।

2.1.9.2 लम्बित देनदारियां

नरेगा-सॉफ्ट पर प्रदर्शित प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार सामग्री बिलों और मस्टर रोल/वाउचर की ₹ 704.37 करोड़ की लम्बित देनदारियां 2012-17 के लिए थी जो कि निम्न **तालिका 2.5** में दिऐ अनुसार हैं :

तालिका 2.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मस्टरोल की संख्या (अकुशल)	राशि	सामग्री बिलों की संख्या	राशि	मस्टरोल/ वाउचर की संख्या (कुशल/अकुशल)	राशि	कुल देयता
2012-13	211	0.14	1,597	6.29	1,717	0.48	6.91
2013-14	2,016	0.46	2,973	9.78	4,068	1.37	11.61
2014-15	7,023	1.01	1,398	5.09	2,602	1.02	7.12
2015-16	36,538	5.56	1,187	4.07	2,894	1.15	10.78
2016-17	1,52,485	37.65	72,046	547.38	1,26,574	82.92	667.95
योग	**1,98,273**	**44.82**	**79,201**	**572.61**	**1,37,855**	**86.94**	**704.37**
कुल देयता का प्रतिशत		**6.36**		**81.30**		**12.34**	

स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट पर 19 अप्रैल 2017 को प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकडें।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने स्वीकार किया कि बजट के कम आवंटन के कारण मजदूरी/सामग्री भुगतान के संबंध में देनदारियां लम्बित हैं।

2.1.9.3 देय भुगतान और क्षतिपूर्ति

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II का अनुच्छेद 29 के अनुसार, मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिवस से अधिक अवधि के विलम्ब पर प्रति दिवस अवैतनिक मजदूरी का 0.05 प्रतिशत की दर से विलम्बित क्षतिपूर्ति का हकदार हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों (जून 2014) के अनुच्छेद 4 के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी क्षतिपूर्ति लागू होने से 15 दिवस के भीतर यह निर्धारित करेगा कि क्षतिपूर्ति जिसे स्वचालित रूप से नरेगा-सॉफ्ट द्वारा गणना की गई है, देय है या नहीं।

(i) मनरेगा श्रमिकों को विलम्ब से भुगतान

ग्रामीण विकास विभाग और सूचना प्रबंधन प्रणाली आंकड़ों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2013-17 की अवधि के दौरान मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में अत्याधिक विलम्ब हुआ क्योंकि मजदूरी के कुल भुगतान के 51.67 प्रतिशत भुगतानों में निर्धारित अवधि से अधिक का विलम्ब था जैसा कि निम्न **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है :

तालिका 2.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	देरी से भुगतान								देरी से कुल भुगतान		वित्तीय वर्ष के लिए कुल भुगतान	
	15-30 दिवस		30-60 दिवस		60-90 दिवस		90 दिवस से अधिक					
	लेनदेन	राशि	लेनदेन	राशि	लेनदेन	राशि	लेनदेन	राशि	लेनदेन	राशि	लेनदेन	राशि
2013-14	58,61,376	620.70	63,98,443	682.31	22,42,454	239.77	11,33,126	123.85	1,56,35,399	1666.63	18352057	1,959.66
2014-15	73,78,106	775.50	26,79,113	269.67	3,61,946	35.36	1,03,851	10.08	1,05,23,016	1090.61	17185507	1,836.65
2015-16	94,82,781	1,103.68	24,10,528	269.55	4,05,988	44.83	4,22,303	49.04	1,27,21,600	1467.10	23211254	2,718.47
2016-17	55,63,764	710.44	5,18,214	69.12	1,07,356	14.47	1,01,834	13.39	62,91,168	807.42	24891602	3223.19
योग	2,82,86,027	3,210.32	1,20,06,298	1,290.65	31,17,744	334.43	17,61,114	196.36	4,51,71,183	5,031.76	8,36,40,420	9,737.97
देरी से कुल भुगतान का प्रतिशत		**63.80**		**25.65**		**6.65**		**3.90**		**51.67**		

स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट पर 20 अप्रैल 2017 को प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ें।

लेखापरीक्षा द्वारा 218 ग्राम पंचायतों में 2,180 लाभार्थियों के साथ आयोजित किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण में पाया गया कि 64 प्रतिशत लाभार्थियों को 15 दिवस ***(परिशिष्ट-IV)*** में मजदूरी नहीं मिली थी।

(ii) मजदूरी के विलम्बित भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान

नरेगा-सॉफ्ट पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार क्षतिपूर्ति की गणना स्वचालित रूप से नरेगा-सॉफ्ट द्वारा की गई थी। 2013-14 से 2016-17 के दौरान कुल देय क्षतिपूर्ति राशि का 98.38 प्रतिशत कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। सूचना प्रबंधन प्रणाली पर सूचीबद्ध क्षतिपूर्ति की राशि को अस्वीकृत करने के लिए बताए गए कारण थे (i) क्षतिपूर्ति देय नहीं (26.13 प्रतिशत), (ii) अपर्याप्त निधि

(2.93 प्रतिशत), (iii) प्राकृतिक आपदा (41.78 प्रतिशत) एवं (iv) अन्य (29.16 प्रतिशत) ***(परिशिष्ट-VI)***।

क्षतिपूर्ति को अस्वीकृत करने के लिए उद्धृत 'प्राकृतिक आपदा' जैसे कारण अनुचित प्रतीत होते है और 'अन्य' के कारण अस्पष्ट थे क्योंकि कार्यक्रम अधिकारी ने उचित सत्यापन/साक्ष्य के बिना क्षतिपूर्ति को अस्वीकृत कर दिया था।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक लाभार्थी सर्वेक्षण में पाया गया कि 73 प्रतिशत लाभार्थियों ***(परिशिष्ट-IV)*** को मजदूरी के विलम्ब से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति नहीं मिली थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि नियमों के अनुसार विलम्बित भुगतान पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा रहा है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षतिपूर्ति को उचित सत्यापन/साक्ष्य के बिना मनमाने ढंग से अस्वीकृत कर दिया गया था।

(iii) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के उपरान्त भी लाभार्थियों को विलम्बित भुगतान

निधि जारी करने की प्रणाली को व्यवस्थित करने और निधि जारी करने के कई स्तरों से बचने के लिए मनरेगा में इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली को प्रारम्भ किया गया। क्रियान्वयन अभिकरण (ब्लॉक/ग्राम पंचायत), कार्य और मस्टर रोल के उचित सत्यापन के बाद, राज्य स्तर के खाते को डेबिट कर लाभार्थी खातों में सीधे मजदूरी को स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण आदेश तैयार करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाभार्थियों के खातों में दो कार्य दिवसों के भीतर मजदूरी का हस्तांतरण कर देता है। यद्यपि निधि राज्य स्तर पर केन्द्रीकृत रहती है, लेकिन व्यय करने का निर्णय क्षेत्रीय स्तर पर लिया जाता है।

यह पाया गया कि 1 अप्रैल 2016 से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत के बाद, यद्यपि विलम्बित भुगतान की स्थिति में कमी आई है, फिर भी लाभार्थियों के खातों में निधि हस्तांतरण आदेश के जारी होने के दो कार्य दिवसों के भीतर मजदूरी जमा करके केवल 17.80 प्रतिशत निधि हस्तांतरण आदेश को समय पर संसाधित किया गया था। इसके अलावा 23.55 प्रतिशत निधि हस्तांतरण आदेश का भुगतान तीन से चार दिवस के मध्य किया गया था। 58.64 प्रतिशत निधि हस्तांतरण आदेश का भुगतान 48 घंटों की निर्धारित सीमा के पांच दिवस के पश्चात किया गया था।

(iv) निधि हस्तांतरण आदेश उत्पन्न होने के पश्चात और लाभार्थी के खाते में मजदूरी जमा होने के मध्य के समय के विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति का अभाव

मनरेगा अधिनियम की संशोधित अनुसूची-II के अनुच्छेद 29(1)(सी) के अनुसार मस्टर रोल को बंद करने और श्रमिकों के खातों में मजदूरी जमा करने की दिनांक के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि निधि हस्तांतरण आदेश उत्पन्न होने के पश्चात एवं मजदूरी, श्रमिकों के खाते में जमा होने के मध्य के समय का मुआवजा 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से लाभार्थियों को नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि विलम्ब से भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है।

2.1.9.4 श्रमिकों को औसत श्रम दर का भुगतान

योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मनरेगा की धारा 6 (1) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित श्रम दर पर मजदूरी पाने का हकदार है। कार्यस्थल पर अधिसूचित श्रम दर भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

यद्यपि, तकनीकी दिशा-निर्देश 2010 के अनुच्छेद 16.8 के अनुसार किसी भी पखवाड़े में श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत दैनिक मजदूरी[25] ₹ 70 से कम होने के मामलें में कार्यवाही होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-17 के दौरान 182, 284, 127 और 52 ग्राम पंचायतों में औसत वेतन का भुगतान ₹ 70 से कम था। तथापि, जांच की गई समस्त 27 पंचायत समितियों में पाया गया कि दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित कारणों का विश्लेषण करने के लिए उच्च अधिकारियों (कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक) द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

2.1.9.5 श्रमिकों को वेतन रसीद जारी करने अभाव

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 7.15 के अनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत वेतन रसीद दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत वेतन रसीद नरेगा-सॉफ्ट के माध्यम से वेतन आदेश के साथ जारी की जाएगी। जांच की गई समस्त 27 पंचायत समितियों के अभिलेखो की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वेतन आदेश के साथ नरेगा-सॉफ्ट के माध्यम से व्यक्तिगत वेतन रसीद या मजदूरी जारी नहीं की गई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि मजदूरी का भुगतान अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मजदूरों के बैंक खाते में

25. दर ₹ 120 राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 19 जनवरी 2016 द्वारा संशोधित।

स्थानांतरित/हस्तांतरित किया जा रहा है इसलिए श्रमिकों को वेतन रसीद जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 में निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत रसीद या मजदूरी रसीद दी जानी चाहिए, जबकि मजदूरी इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जा रही हो।

2.1.9.6 बेरोजगारी भत्ता

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 3.5 एवं साथ ही अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अगर आवेदक को रोजगार मांगने के आवेदन के 15 दिवस के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। नरेगा-सॉफ्ट अभिलेखों और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2015-16 के दौरान केवल एक प्रकरण में ग्राम पंचायत-सरोट (पंचायत समिति-भीम, जिला परिषद-राजसमंद) में राशि ₹ 1,564 का बेरोजगारी भत्ता भुगतान किया गया। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

यद्यपि, तथ्य यह है कि 2012-17 के दौरान केवल एक प्रकरण में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया था।

2.1.9.7 श्रम सुविधाएं और अन्य अधिकार

मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसूची-II के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार सुरक्षित पेयजल की सुविधाएं, श्रमिकों और बच्चों के लिए छाया, मामूली चोटों और कार्य से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के लिए आपातकालीन उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ प्राथमिक उपचार पेटी कार्यस्थल पर प्रदान की जाएगी।

(अ) श्रमिकों के लिए श्रम सुविधाऐं एवं अन्य अधिकार

- ***श्रमिकों हेतु कार्यस्थल पर सुविधाएं :*** जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 220 ग्राम पंचायतों (दो ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए) के अभिलेखों की संवीक्षा एवं भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि कार्यस्थल पर श्रमिकों को केवल पेयजल की सुविधा प्रदान की जा रही थी एवं श्रमिकों और बच्चों के लिए छाया जैसी अन्य कार्यस्थल सुविधाएं, मामूली चोटों और अन्य स्वास्थ्य खतरों के लिए आपातकालीन उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री वाली प्राथमिक उपचार पेटी प्रदान नहीं की गई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

- ***श्रमिकों की धारणा*** – मनरेगा कई माध्यमों और प्रावधानों के द्वारा श्रमिकों को कई विधिक अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए अधिकारों और हकों पर श्रमिकों की संतुष्टि के स्तर का पता लगाने के लिए, एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई थी। अप्रैल से अक्टूबर 2017 के दौरान 218 चयनित ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुये ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दलों द्वारा लाभार्थी सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। 2,180 श्रमिकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को निम्न दर्शाया गया है:

लाभार्थी सर्वेक्षण और प्राप्त प्रतिक्रियाएं (अधिकार-6)

क्र.सं.	अधिकार-6: कार्यस्थल पर सुविधा प्राप्त करने का अधिकार	
(i)	चिकित्सा सहायता	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्यस्थल पर चिकित्सा सहायता सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
(ii)	पेयजल	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्यस्थल पर पेयजल सुविधा प्रदान की गई थी।
(iii)	छाया	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्यस्थल पर छाया सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
(iv)	शिशु पालन गृह	100 प्रतिशत ने बताया कि बच्चों के लिए शिशु पालन गृह सुविधा कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
(v)	5/6 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था।	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्यस्थल पर 5/6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया था।
(vi)	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बीमा	97 प्रतिशत ने बताया कि उनका मनरेगा श्रमिकों के लिए किसी भी योजना के तहत बीमा नहीं किया गया है।

लाभार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रिया भी यह इंगित करती है कि चिकित्सा सुविधाओं, छाया सुविधाओं, उनके बच्चों के लिए शिशु पालन गृह आदि जैसी सुविधाओं की कमी थी एवं मजदूरों को पर्याप्त रूप से सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी।

(ब) मनरेगा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 8.9 में प्रावधान अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 15 दिवस से अधिक अवधि तक कार्य करने वाले मनरेगा श्रमिकों को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए हकदार श्रमिकों/परिवारों की एक सूची नरेगा-सॉफ्ट में उपलब्ध है। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जनश्री बीमा योजना/राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत मनरेगा श्रमिकों के नामांकन के संबंध में आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी। अग्रेतर, जांच की गई आठ जिला परिषदों और 27 पंचायत समितियों में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर

ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। श्रमिकों का बीमा आवरण के प्रावधानों से संबंधित दिशा-निर्देशों की अनुपालना की जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया कि कार्यस्थल पर श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना और अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों को पूरा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

निष्कर्ष

100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार एवं श्रम सुविधाएं

राज्य में औसत रोजगार सिर्फ 52.02 दिवस प्रति परिवार प्रदान किया गया था। केवल औसत 9.91 प्रतिशत परिवारों को 100 और अधिक दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया था। महिला लाभार्थियों को प्रदान किया गया रोजगार महत्वपूर्ण था क्योंकि यह 2012-17 की अवधि के दौरान 68.20 प्रतिशत था, जो कि निर्धारित स्तर 33.34 प्रतिशत से काफी अधिक था।

श्रम और सामग्री के ₹ 704.37 करोड़ के भुगतान लम्बित थे। मजदूरी के 51.67 प्रतिशत भुगतानों में विलम्ब हुआ। प्रति व्यक्ति प्रति दिवस अर्जित औसत मजदूरी अधिसूचित औसत मजदूरी दर से काफी कम थी।

2012-17 के दौरान बेरोजगारी भत्ता केवल एक प्रकरण में भुगतान किया गया था क्योंकि श्रमिकों को कार्य आवेदन की दिनांकित रसीद जारी नही की जा रही थी। पेयजल सुविधाओं को छोड़कर श्रम सुविधाओं और अन्य सुनिश्चित सुविधाएं श्रमिकों को उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी।

अनुशंसाएं

8. *राजस्थान सरकार को कम मजदूरी दरों के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत मजदूरी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों से कम न हों यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।*

9. *राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चत करना चाहिए कि पर्याप्त श्रम सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए जायें।*

उद्देश्य-5: क्या वित्तीय और जनशक्ति प्रबंधन प्रभावी था

2.1.10 वित्तीय प्रबंधन

मनरेगा के दिशा-निर्देशानुसार भारत सरकार का अंश अप्रशिक्षित श्रमिकों के मजदूरी के भुगतान तथा प्रशासनिक व्यय (योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले व्यय का छः प्रतिशत) का 100 प्रतिशत और सामग्री लागत का 75 प्रतिशत था। राज्य का अंश सामग्री लागत का 75 प्रतिशत था और बेरोजगारी भत्ता और राज्य गांरटी रोजगार परिषद के प्रशासनिक व्यय का 100 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के वर्षो के दौरान मनरेगा की वित्तीय प्रगति निम्न **तालिका 2.7** में दर्शाई गई है :

तालिका 2.7

(**₹ करोड़ में**)

वर्ष	राज्य निधि की स्थिति					कुल व्यय
	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जारी निधि		विविध आय	निधि की कुल उपलब्धता	
		केन्द्रीय	राज्य			
2012-13	157.22	2,585.34	270.38	10.84	3,023.78	3,271.27
2013-14	76.99	2,059.43	299.91	11.51	2,447.84	2,624.73
2014-15	11.29	2,976.10	322.90	-	3,310.29	3,251.35
2015-16	101.24	2,695.83	223.42	-	3,020.49	3,267.38
2016-17	84.61	4,818.17	342.67	-	5,245.45	5,155.41
योग		**15,134.87**	**1,459.28**	**22.35**	**17,047.85**	**17,570.14**

स्रोत : सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन (वित्तीय विवरण)।

2.1.10.1 राज्य अंश जारी होना

भारत सरकार ने अनुमोदित श्रम बजट में किए गए अनुमानों के अनुसार राज्य को धन राशि जारी की। राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता जारी करने की दिनांक के उपरान्त आने वाले पखवाड़े में अपना अंश जारी करना चाहिए। अप्रैल 2014 से, केन्द्रीय अंश प्राप्त होने की दिनांक के तीन दिवस में राज्यांश जारी किया जाना चाहिए था और निधि के हस्तांतरण नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार निधि हस्तांतरण में हुए विलम्ब अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

- 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 11,963.33 करोड़[26] के विरूद्ध राजस्थान सरकार ने वास्तव में मैचिंग अंश

26. 2016-17 के दौरान मजदूरी भुगतान के विरूद्ध भारत सरकार की एनइएफएमएस से जारी निधि के अतिरिक्त।

₹ 1,532.06 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,235.89 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप राज्य का ₹ 296.17 करोड़ मैचिंग अंश कम जारी हुआ।

- तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-13 के दौरान ₹ 141 करोड़ राज्य अंश जारी करने में 30 से 57 दिवस का विलम्ब हुआ था। 2014-17 की अवधि के लिए राज्य का अंश कम जारी (₹ 228.34 करोड़)/विलम्ब से जारी (₹ 199.67 करोड़) के लिए ₹ 44.02 करोड़ ब्याज देय हुआ।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि वित्तीय मुद्दों की जांच की जाएगी।

2.1.10.2 लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के प्रावधानानुसार पंचायत समिति/जिला परिषद को जारी अनुदान के मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे। वित्त और लेखा दिशा-निर्देश 2011 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी/कार्यकारी अभिकरण को जारी निधि को अग्रिम राशि के रूप में दिखाया जाना चाहिए और उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर समायोजित किया जाना चाहिए।

आयुक्त रोजगार गांरटी परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2016 तक ₹ 72.56 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे, यद्यपि, इसका उपयोग क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा कर लिया गया था एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने शेष थे। इसके अतिरिक्त, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुल ₹ 72.56 करोड़ में से ₹ 55.05 करोड़ (75.86 प्रतिशत) 10 जिला परिषदों[27] के विरूद्ध बकाया चल रहे थे। राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

2.1.10.3 अव्ययित शेष का मनरेगा खाते में अहस्तान्तरण

(i) राष्ट्रीय आहार कार्य कार्यक्रम एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को वर्ष 2006 में समस्त अप्रयुक्त शेष/संसाधनों के साथ मनरेगा में विलय कर दिया गया था और कार्यों को मनरेगा के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना था। फरवरी 2014 में राजस्थान सरकार ने समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देशित किया कि जिला परिषद एवं लाईन-विभागों के पास अप्रयुक्त पड़े शेष को राज्य स्तरीय मनरेगा खातों में हस्तांतरित करें।

27. बूंदी : ₹ 4.28 करोड़, चित्तौड़गढ़ : ₹ 3.99 करोड़, दौसा: ₹ 3.69 करोड़, झालावाड़ : ₹ 4.99 करोड़, करौली : ₹ 11.24 करोड़, कोटा : ₹ 3.18 करोड़, पाली : ₹ 6.42 करोड़, राजसमन्द : ₹ 4.29 करोड़, टोंक : ₹ 4.83 करोड़ एवं उदयपुर : ₹ 8.14 करोड़।

आयुक्त रोजगार गांरटी परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

- नौ जिलों द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की राशि ₹ 4.28 करोड़[28] 31 मार्च 2016 तक स्थानांतरित नहीं की थी ।

- जिला परिषदों और लाइन-विभागों के पास शेष कुल ₹ 57.40 करोड़[29] 31 मार्च 2016 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि मामलों की जांच और जिलों/विभागों/डाक-घरों में अप्रयुक्त शेष राज्य रोजगार गारंटी निधि खाते में स्थानांतरित किया जावेगा।

2.1.10.4 प्रशासनिक व्यय/अन्य देनदारियों की गैर-आपूर्ति

(i) आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-17 के दौरान मनरेगा निधि खाते से भुगतान की गई निम्न देनदारियां राजस्थान सरकार द्वारा वहन की जानी थी, जिन्हें अतिरिक्त निधि आवंटन द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि में जमा किया जाना था, जिन्हे निम्न **तालिका 2.8** द्वारा संक्षेप में दर्शाया गया है :

तालिका 2.8

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य की देयताएं	वर्ष					योग
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
1.	अतिरिक्त सामग्री घटक	116.19	82.96	139.74	58.96	-	397.85
2.	अतिरिक्त व्यक्ति दिवसों पर व्यय की गई राशि (किसी भी परिवार के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमत्य दिवसों से अधिक)	4.80	109.82	7.05	4.87	0.29	126.83
3.	प्रशासनिक व्यय	-	49.61	27.53	26.78	-	103.92

28. अजमेर : ₹ 0.28 करोड़, बांरा : ₹ 0.007 करोड़, बूंदी : ₹ 0.08 करोड़, चित्तौड़गढ़ : ₹ 0.23 करोड़, चूरू : ₹ 0.0003 करोड़, झालावाड़ : ₹ 0.68 करोड़, नागौर : ₹ 0.15 करोड़, राजसमंद : ₹ 0.52 करोड़ एवं उदयपुर : ₹ 2.33 करोड़।
29. ₹ 57.40 करोड़ (कुल ₹ 45.01 करोड़ सभी 33 जिलों के पास 31 मार्च 2016 तक लम्बित थे। जिसे नकद के रूप में मनरेगा निधि के सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित वित्तीय लेखों में दर्शाया गया है। मनरेगा निधि के सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित वित्तीय लेखों के अनुसार कुल ₹ 11.19 करोड़ 31 मार्च 2016 तक 13 जिलों में डाक विभाग के पास लम्बित थे एवं सनदी लेखाकार रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2016 तक 12 जिलों के लाईन-विभागों के पास ₹ 1.20 करोड़ लम्बित थे।

क्र. सं.	राज्य की देयताएं	वर्ष					योग
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
4.	अन्य देनदारियां	–	–	–	–	–	–
(i)	बेरोजगारी भत्ता	–	–	–	0.00	–	0.00*
(ii)	मजदूरी के विलम्ब से भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति	–	–	0.01	0.19	0.09	0.29
(iii)	राज्य रोजगार गारंटी परिषद पर व्यय	–	–	–	–	–	–
योग		**120.99**	**242.39**	**174.33**	**90.80**	**0.38**	**628.89**
** 2015-16 की अवधि के दौरान एक मामले में बेरोजगारी भत्ते के रूप में भुगतान ₹ 1,564 से संबंधित है।*							
स्रोत : आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।							

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि में ₹ 628.89 (103.92 + 524.97) करोड़ की प्रतिपूर्ति करनी थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि राजस्थान सरकार के अंश के आधिक्य प्रशासनिक व्यय और अन्य देनदारियों को जमा करने का मामला विचाराधीन था।

2.1.11 मानव संसाधन प्रबंधन

मनरेगा, 2005 की धारा 18 के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक कर्मचारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर साथ ही साथ पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबन्ध आधारित सहायक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है।

2.1.11.1 श्रमशक्ति का अभाव

- आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राज्य/जिला/पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत पद, कार्यरत कर्मचारियों पद 7 जुलाई 2017 को निम्न **तालिका 2.9** में दर्शाये अनुसार है :

तालिका 2.9

स्तर	स्वीकृत	कार्यरत कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति/अनुबन्ध	रिक्तियां	प्रतिशत रिक्ति में
राज्य स्तर	342	66	276	80.70
जिला स्तर	1,209	281*	928	76.76
पंचायत समिति स्तर	7,978	3,517**	4,461	55.92
ग्राम पंचायत स्तर	18,354	4,261***	14,093	76.78
योग	**27,883**	**8,125**	**19,758**	**70.86**
** अनुबन्ध आधार पर भरे हुए 170 पद शामिल हैं।*				
*** अनुबन्ध आधार पर भरे हुए 3,221 पद शामिल हैं।*				
**** अनुबन्ध आधार पर भरे हुए 4,261 पद शामिल हैं।*				
स्रोत : रोजगार गारंटी योजना द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।				

कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने एवं अतिरिक्त कार्यभार देने से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर नकारात्मक असर पड़ता है।

- **प्रशिक्षण पश्चात बेयरफुट तकनीशियन की नियुक्ति एवं परिनियोजन :** मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यस्थल पर पूर्ण माप करने के लिए तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त करें और श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों को प्रशिक्षित करे या कुशल व्यक्तियों को बेयरफुट तकनीशियन नियुक्त करें।

आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुल 623 बेयरफुट तकनीशियन प्रशिक्षित किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 509 बेयरफुट तकनीशियन ने प्रशिक्षण पूरा किया, जिनमें से 457 बेयरफुट तकनीशियन प्रमाणित किए गए थे और 27 सितंबर 2017 तक 295 बेयरफुट तकनीशियन नियुक्त किए गए थे। चिन्हित किए गए 162 प्रमाणित बेयरफुट तकनीशियन अभी भी समूहों में नियुक्त किए जाने थे और 114 बेयरफुट तकनीशियन को अभी तक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया कि रिक्त पदों को भर दिया जाएगा और स्पष्ट किया कि 30 मई 2016 के आदेश के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा नए भर्ती 7,765 कनिष्ठ लिपिक पदों की मनरेगा के तहत प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई थी। यद्यपि, उपरोक्त कनिष्ठ लिपिक की सेवाएं मनरेगा के अन्तर्गत लगातार ली जा रही हैं।

2.1.11.2 जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 5.2.4 के अनुसार, एक जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई जिला स्तर पर स्थापित की जानी है, जिसमें पूर्णकालिक समर्पित सक्षम व्यक्ति सम्मिलित हैं जो मनरेगा के लिए मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगें, जो खण्ड और उप-खण्ड क्रियान्वयन समूहों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षेत्र फील्ड आधारित हाथ से सहायता प्रदान करेंगें। आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि समस्त जांच की गई जिला परिषदों में 2012-17 की अवधि के दौरान जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई स्थापित नहीं की गई थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।

2.1.11.3 पूर्ण रोजगार में आजीविका के लिए परियोजना

पूर्ण रोजगार आजिविका (लाइफ-मनरेगा) परियोजना आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देना, कौशल-आधार में सुधार और मनरेगा श्रमिकों की आजीविका में सुधार करने हेतु

बनायी गयी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/राज्य प्रधान कौशल मिशन को नरेगा-सॉफ्ट पर अपलोड करने हेतु ऐसे ग्रामीण परिवारों की एक सूची तैयार करनी थी, जिनके सदस्यों ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत कम से कम 15 दिवस का कार्य पूर्ण किया था। अग्रेतर, निर्धारित किया गया कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिवस के रोजगार को पूर्ण करने वाले 1,91,568 परिवारों का एक सर्वेक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया था और यह पाया गया कि 1,19,090 परिवार आजीविका कौशल, स्व-रोजगार और आजीविका उन्नयन में रूचि रखते थे। तदनुसार भारत सरकार ने 1,49,625 युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए।

राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम, ग्रामीण स्व रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद/राज्य नोडल कौशल मिशन द्वारा आयोजित कराए गए प्रशिक्षणों का विवरण निम्न **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है :

तालिका 2.10

आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया							
कौशल के लिए विकल्प	**आजीविका में रूचि रखने वाले श्रमिक**	**अभिकरण**	**भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य**	**लक्ष्य 2015-16**	**2015-16 के दौरान प्रदाय प्रशिक्षण**	**लक्ष्य 2016-17* (2015-16 के शेष सहित)**	**2016-17 के दौरान प्रदाय प्रशिक्षण**
मजदूरी हेतु कुशलता	87,085	राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम	86,000	25,800	शून्य	(7,079+25,800) 32,879	शून्य (0.00%)
स्व-रोजगार के लिए कौशल	36,841	ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान	35,346	8,238	214 (2.60%)	(22,245+8,024) 30,269	5,299 (17.51%)
आजीविका उन्नयन	36,662	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद / राज्य नोडल कौशल मिशन	28,279	8,484	72 (0.85%)	(17,067+8,412) 25,479	2,042 (8.01%)
कुल	**1.60,588**		**1,49,625**	**42,522**	**286 (0.67%)**	**(46,391+42,236) 88,627**	**7,341 (8.28%)**
*मार्च 2017 तक कुल लक्ष्य के समक्ष कुल उपलब्धि 8.58 प्रतिशत**							
** प्रशिक्षण प्रदान किया गया: कुल लक्षित (2015-16) 42,522 + (2016-17) 46,391 = 88,913 और कुल उपलब्धि (2015-16) 286 + (2016-17) 7,341 = 7,627 (7,627 / 88,913 × 100) = 8.58 प्रतिशत*							
स्रोत : आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।							

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि :

- वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमश: मात्र 286 (0.67 प्रतिशत) और 7,341 (8.28 प्रतिशत) युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

● वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान '*मजदूरी हेतु कुशलता*' घटक के तहत राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम द्वारा किसी को प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

● पूर्ण रोजगार आजिविका (लाइफ-मनरेगा) परियोजना से कुल उपलब्धि मार्च 2017 तक कुल लक्ष्य का 8.58 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण परिवारों के लिए सतत् आजीविका बनाने का उद्देश्य अब तक इस परियोजना के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन

2012-17 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 296.17 करोड़ कम और ₹ 199.67 करोड़ विलम्ब के साथ जारी किए गए थे, जिसके लिए ₹ 44.02 करोड़ ब्याज देय था।

इसके अलावा मार्च 2016 तक ₹ 72.56 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे। जिला परिषदों एवं लाईन-विभाग के पास पड़े राशि ₹ 61.68 करोड़ के अप्रयुक्त शेष को योजना खाते में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

अतिरिक्त सामग्री घटकों, व्यक्ति दिवस, प्रशासनिक लागत, बेरोजगारी भत्ते और मजदूरी के विलम्ब से भुगतान की क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 628.89 करोड़ की राशि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि में हस्तान्तरित नहीं की गई थी।

श्रम-शक्ति प्रबंधन

राज्य/जिला/पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की अत्याधिक कमी थीं और जुलाई 2017 तक 70.86 प्रतिशत पद रिक्त थे।

ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका बनाने का उद्देश्य अब तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इच्छुक युवाओं में से केवल 8.58 प्रतिशत लोगों को आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

अनुशंसाएं

10. अप्रयुक्त शेष के समायोजन हेतु विभिन्न कार्यकारी अभिकरणों के साथ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

11. राजस्थान सरकार को ₹ 628.89 करोड़ की लम्बित देनदारियों को राज्य रोजगार गारंटी कोष में जमा कराना चाहिए।

उद्देश्य 6: क्या योजना के विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण तंत्र मौजूद था।

2.12 योजना अनुश्रवण

2.1.12.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यप्रणाली

मनरेगा अधिनियम, 2005 राज्य रोजगार गारंटी परिषद के गठन और अलग-अलग नियमों[30] को तैयार करने, बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया का आदेश देता है। प्रशासनिक सुधार विभाग (राजस्थान सरकार) ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया (मार्च 2006)। राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थी। राज्य रोजगार गारंटी परिषद को योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कर्तव्य और कार्य सौंपें[31] गए थे।

आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-13 से 2016-17 के दौरान आवश्यक 10 बैठकों के विरूद्ध केवल दो बैठके (16 मई 2012 और 5 जुलाई 2016 को) आयोजित की गई थी। योजना के क्रियान्वयन के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार और राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किए गए, यद्यपि वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो कि एक आवश्यकता थी।

2.1.12.2 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सहायता के लिए कार्यकारी समिति का गठन और इसकी बैठक आयोजित करना

राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सहायता के लिए कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार ने मनरेगा (जुलाई 2006) में प्रावधान किए। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति की बैठकें हर तीन माह या आवश्यकतानुसार परिषद द्वारा निर्धारित करने पर आयोजित की जानी चाहिए। आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-17 की अवधि के दौरान कार्यकारी समितियों की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई। बैठकें आयोजित करने में आने

30. धारा 12(2) के अनुसार नियम और शर्तें जिसके द्वारा राज्य परिषद के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और राज्य परिषद की बैठक का समय स्थान और प्रक्रिया (इन बैठकों में कोरम सहित) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

31. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के कर्तव्य एवं कार्य में शामिल है - (अ) राज्य सरकार योजना और इसके क्रियान्वयन के संबंध में सभी विषयों पर सलाह देना (ब) वरियता वाले कार्यों का निर्धारण (स) अनुश्रवण एवं निवारण तंत्र की समय-समय पर समीक्षा करना एवं उसमें सुधार की अनुशंसा करना (द) इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत योजना के बारे में सूचना का अधिकतम प्रसार करना (य) अधिनियम और योजना का राज्य में अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन एवं इस क्रियान्वयन का केन्द्रिय परिषद के साथ समन्वय (र) राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर रखी जाने वाली वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करना (ल) अन्य कोई कर्तव्य या कार्य जो केन्द्रिय परिषद और राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए।

वाली बाधाओं का विश्लेषण करने एवं कार्यवाही करने की आवश्कता है क्योंकि यह बैठकें प्रभावी अनुश्रवण के लिए आवश्यक है।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि राज्य रोजगार गारंटी परिषद और इसकी सहायता के लिए गठित कार्यकारी समिति की समय-समय पर बैठकों के आयोजन के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.1.12.3 सामाजिक लेखापरीक्षा

सामाजिक लेखापरीक्षा औपचारिक रूप से मनरेगा योजना में मनरेगा लेखापरीक्षा नियम, 2011 के माध्यम से लाई गई थी। मनरेगा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन छः माह में एक बार करना अनिवार्य है। तदनुसार, राजस्थान सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए विस्तृत सामाजिक लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश वर्ष 2012 में तैयार किए गए। सामाजिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य परियोजनाओं, विधियों नियमों और नीतियों के क्रियान्वयन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना था।

(i) सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी

मनरेगा लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 के नियम 3 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम छः माह में मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत किए गए कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करेगी। आयोजित की गयी सामाजिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्न **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.11

वर्ष	कुल ग्राम पंचायते	की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	प्रथम चरण, ग्राम सभा द्वारा आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा	द्वितीय चरण ग्राम सभा द्वारा आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा	कमी	कमी का प्रतिशत
2012-13	9,177	18,354	-	867	17,487	95.28
2013-14	9,177	18,354	7,976	-	10,378	56.54
2014-15	9,177	18,354	8,649	8,433	1,272	6.93
2015-16	9,894	19,788	9,102	9,237	1,449	7.32
2016-17	9,894	19,788	9,324	8,923	1,541	7.79

स्रोत : निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यद्यपि 2012-17 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन का रूझान बढ़ रहा था। तथापि, वर्ष 2016-17 में 7.79 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन नही हुआ।

(ii) सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की गुणवत्ता

जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 141 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जहां सामाजिक अंकेक्षण इकाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराए गए, वहां सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य के आयोजन के दौरान सामाजिक अंकेक्षण इकाई प्रतिवेदन में बहुत कम टिप्पणियां अंकित पायी गई और कार्य संतोषजनक बताया गया जबकि ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन एवं योजना के क्रियान्वयन में बहुत कमियां थी।

अग्रेतर यह भी पाया गया कि :

- सामाजिक लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश 2012 के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को नरेगा-सॉफ्ट पर सात दिवस में अपलोड करने के लिए निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा उत्तरदायी होगा। सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नरेगा-सॉफ्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही थीं।

- मनरेगा लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 के नियम 3(2) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षो का सारांश राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना था। 2012-17 की अवधि के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उक्त प्रतिवेदन नहीं भेजा गया था।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगें।

2.1.12.4 शिकायत निवारण तंत्र

मनरेगा अधिनियम की धारा 23 (6) यह निर्धारित करती है कि कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को संधारित की गई शिकायत पंजिका में दर्ज करेगा और शिकायत प्राप्ति के सात दिवसों में उनका निपटान करेगा।

शिकायतों के निपटान में विलम्ब

यद्यपि मनरेगा के अनुसार सात दिवसों में शिकायतों/विवादों का निपटान किया जाना था, 'राजस्थान सम्पर्क'[32] वेबसाइट द्वारा मात्र 15 दिवसों एवं उससे अधिक के

32. नागरिकों को उचित सेवा सुनिश्चित करने के लिए 'राजस्थान सम्पर्क' को एक ऑन-लाइन शिकायत निवारण तंत्र के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया गया है।

दिवसों में निपटान के बारे में जानकारी दर्शायी गई। 'राजस्थान सम्पर्क' के माध्यम से मनरेगा के संबंध में पंजीकृत शिकायतों की 7 जुलाई 2017 की स्थिति निम्न **तालिका 2.12** में दर्शायी गयी है :

तालिका 2.12

वर्ष	प्राप्ति	निपटान	बकाया	समय सीमा में निपटान (15 दिवस)	समय सीमा के पश्चात निपटान (माह में)				योग	प्रतिशत
					एक	तीन	छः	छः से अधिक		
2014-15*	159	159	शून्य	18	36	53	23	29	141	88.68
2015-16	129	127	2	19	37	42	17	12	108	85.04
2016-17	5,180	5,042	138	1,198	1,850	1,297	567	130	3,844	76.24
योग	**5,468**	**5,328**	**140**	**1,235**	**1,923**	**1,392**	**607**	**171**	**4,093**	**–**
प्रतिशत			**2.56**							**76.82**

* जून 2014 से

स्रोत : आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना द्वारा प्रदान की गई जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि औसत 76.82 प्रतिशत शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निपटान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि सर्वेक्षित लाभार्थी में से 68 प्रतिशत (***परिशिष्ट-IV***) को शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ हेल्प-लाईन नम्बरों के संबंध में जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त आयुक्त रोजगार गारंटी योजना द्वारा ऑफ-लाइन शिकायते भी प्राप्त की गयी थी। वर्ष 2012-17 के दौरान कुल 730 शिकायतें[33] प्राप्त की गई, जिनमें से कुल 326 शिकायतें[34] 7 जुलाई 2017 तक लम्बित थी।

2.1.12.5 लोकपाल की नियुक्ति और अपीलीय प्राधिकरण का गठन

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I की धारा 30 के अनुसार, राज्यों को प्रत्येक जिले में शिकायतें प्राप्त करने, निर्णय की जांच और स्वीकृत करने हेतु एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के दिशा-निर्देश (जनवरी 2014) के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार लोकपाल के निर्णय से असंतुष्ट किसी भी पक्ष के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण को भी स्थापित किया जाना था।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान 33 जिलों में लोकपाल की स्थिति क्रमशः 7, 19, 20, 16 एवं 15 थी। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने

33. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रमशः 226, 63, 213, 188 एवं 40 शिकायतें प्राप्त हुई।
34. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रमशः 18, 17, 124, 150, और 17 शिकायतें लम्बित थी।

दिशा-निर्देशानुसार लोकपाल के निर्णयों से असंतुष्ट किसी भी पक्ष के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण की अब तक स्थापना नहीं की थी।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि शिकायतों के समय पर निवारण हेतु प्रयास और हर जिले में लोकपाल नियुक्त किए जाएंगें।

2.1.12.6 आवधिक निरीक्षण

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि :

(i) वर्ष 2012-17 के दौरान जांच की गई समस्त 27 पंचायत समितियों में निरीक्षण प्रतिवेदन और कार्यों की अनुश्रवण पंजिका का संधारण नहीं किया गया।

(ii) जांच की गई समस्त आठ जिला परिषदों में न तो आंतरिक गुणवत्ता पर्यवेक्षण टीम के गठन के अभिलेख उपलब्ध थे और न ही नरेगा-सॉफ्ट पर अपलोड किए गए थे। अत: 2012-17 की अवधि के दौरान दिशा-निर्देश में निर्धारित आंतरिक गुणवत्ता प्रबंधन नहीं किया गया था।

(iii) वर्ष 2012-17 के दौरान जांच की गई समस्त आठ जिला परिषदों में से प्रत्येक जिले के लिए राज्य गुणवत्ता अनुश्रवण जिला परिषदों के स्तर पर नियुक्त नहीं किए गए थे।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया कि (मार्च 2018) मामले की समीक्षा की जा रही है।

निष्कर्ष

सामाजिक लेखापरीक्षा, शिकायत और निरीक्षण

राजस्थान सरकार को योजना के क्रियान्वयन के परामर्श के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा कर्तव्यों और कार्यों का उचित ढ़ंग से पालन नहीं किया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त, योजना के क्रियान्वयन में कई कमियों के बावजूद सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन के दौरान बहुत कम टिप्पणियां पायी गयी एवं नरेगा-सॉफ्ट वेबसाइट पर सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अपलोड नहीं किए जा रहे थे।

शिकायत तंत्र प्रभावी नहीं था क्योंकि निर्धारित समय-सीमा में 76.82 प्रतिशत शिकायतों का निपटान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त शिकायतें प्राप्त करने, निर्णयों की जांच करने और स्वीकृत करने के लिए लोकपाल की संख्या पर्याप्त नहीं थी।

न तो प्रशासनिक/तकनीकी अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के आवधिक निरीक्षण किए गए और न ही निरीक्षण प्रतिवेदन और अनुश्रवण पंजिका संधारित की गई।

अनुशंसाएं

12. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार को राज्य रोजगार गारंटी परिषद की समय पर बैठकें आयोजित हो यह सुनिश्चित करना चाहिए।

13. शिकायत निवारण तंत्र कों निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का निपटान करके अधिक प्रभावी किया जाना चाहिए और प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

14. योजना के क्रियान्वयन और निष्पादन को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मनरेगा कार्यों का आवधिक निरीक्षण प्रशासनिक/तकनीकी अधिकारियों, आंतरिक और बाहरी अनुश्रवकों द्वारा किया जाए।

2.1.13 निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का मूल उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अप्रशिक्षित शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का सुनिश्चित श्रम रोजगार प्रदान करके ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के आयोजन के परिणाम प्रकट करते हैं कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं थी क्योंकि समस्त स्तरों पर योजना की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ था, योजना में निम्न से उच्च स्तर के दृष्टिकोण की पालना नहीं की गयी थी और अन्य लाइन-विभागों के साथ अभिसरण की कमी थी। यद्यपि जॉब कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे थे, उन्हें नवीनीकृत नहीं किया जा रहा था और योग्य परिवार जो छूट गए थे और पंजीकृत होने के इच्छुक थे, की पहचान नहीं की गई थी। रोजगार आवंटन प्रभावी नहीं था क्योंकि श्रमिकों को कार्य आवंटन की सूचना नहीं दी गयी थी। 2012-17 के दौरान मात्र एक मामले में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया था क्योंकि श्रमिकों को कार्य आवेदन की दिनांकित रसीद जारी नहीं की जा रही थी।

इस योजना के तहत निष्पादित कई कार्यों में विलम्ब हुआ और स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में कमियां थी। राज्य में प्रदान किया गया कुल औसत

रोजगार मात्र 52.02 दिवस प्रति परिवार था और यह 100 दिवस के गारंटीकृत रोजगार से बहुत कम था। अग्रेतर, श्रमिकों को प्रदान की जानी वाली श्रम सुविधाएं और अन्य गारण्टीकृत अधिकारों में मात्र पेयजल की सुविधा को छोड़कर अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी।

वित्तीय प्रबंधन कमजोर था क्योंकि राज्य अंश विलम्ब से/कम जारी किया गया था और अधिक्य सामग्री घटक की बड़ी राशि राज्य रोजगार गारंटी निधि में जमा नहीं की गई थी। सभी स्तरों पर कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी और जुलाई 2017 तक 70.86 प्रतिशत पद रिक्त थे। योजना के क्रियान्वयन में कई त्रुटियों के बावजूद सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान बहुत कम टिप्पणियां की गई। शिकायत तंत्र प्रभावी नहीं था क्योंकि 76.82 प्रतिशत शिकायतों का निपटान निर्धारित समय-सीमा ने नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्यों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया था।

उपर्युक्त चर्चा किए गए निष्कर्षो और लाभार्थी सर्वेक्षण ने इस तथ्य को इंगित किया कि श्रमिकों को 10 में से आठ अधिकारों के मामलों में संतोषजनक रूप से उनके अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे थे अर्थात (2) मांग करने के 15 दिवस के भीतर काम प्राप्त करने का अधिकार (3) बेरोजगारी भत्ता के अधिकार (4) योजनाओं को तैयार कर उनका शेल्फ तैयार करना (6) कार्य-स्थल पर सुविधाओं का अधिकार (7) मजदूरी दर अधिसूचित करने का अधिकार, (8) 15 दिवस में मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, (9) मजदूरी भुगतान में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार और (10) शिकायतों, सामाजिक लेखापरीक्षा का समयबद्ध शिकायत निवारण। जमीनी स्तर पर मनरेगा के कामकाज में कमी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार योजना के क्रियान्वयन में विभाग को होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अनुपालना के कारणों का विश्लेषण कर सकती है।

अनुपालन लेखापरीक्षा

ग्रामीण विकास विभाग

2.2 मगरा क्षेत्रीय विकास योजना

2.2.1 प्रस्तावना

मगरा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु मगरा क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की गई (अगस्त 2005)। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ सामाजिक-आर्थिक एवं मूलभूत ढांचागत विकास करना था। जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों (मार्च 2015) के अनुसार निधियों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर 'श्री योजना' में शामिल पांच आधारभूत

सुविधाओं (स्वच्छता, स्वास्थ्य, ग्रामीण सम्पर्क, शिक्षा और चिकित्सा एवं ऊर्जा) पर किया जाना था।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक विभाग है और पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल अभिकरण है।

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना राज्य के तीन संभागों[35] के पांच जिलों की 14 पंचायत समितियों[36] मे क्रियान्वित की जा रही है।

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के कार्यान्वयन का अवधि 2012-13 से 2016-17 हेतु अप्रैल से सितम्बर 2017 के दौरान चयनित इकाईयों में अभिलेखों की नमूना जांच संपादित की गई। पांच जिलो में से तीन जिलों यथा भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद का चयन व्यय के आधार पर किया गया। अग्रेतर, छः पंचायत समितियों[37] (50 प्रतिशत) को यादृच्छिक रूप से चुना गया था और 60 ग्राम पंचायतों[38] (25 प्रतिशत) का उनके द्वारा निष्पादित कार्यो की संख्या के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.2 आयोजना

ग्रामीण विकास विभाग एवं चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि न तो आधारभूत संरचना के

35. **संभाग, अजमेर :** अजमेर और भीलवाड़ा, **जोधपुरः** पाली, **उदयपुरः** चित्तौड़गढ़ और राजसमंद।
36. **जिला, अजमेर :** जवाजा और मसूदा, **भीलवाड़ाः** असींद, मांडल और रायपुर, **चित्तौड़गढ़ः** निम्बाहेड़ा, **पाली :** मारवाड़ जंक्शन, रायपुर और **राजसमंद :** अमेट, भीम, देवगढ़, खमनोर, कुम्भलगढ़ और राजसमंद।
37. **पंचायत समिति :** आसींद और मांडल (जिला भीलवाड़ा), मारवाड़ जंक्शन (जिला पाली) और भीम, देवगढ़ और राजसमंद (जिला राजसमंद)।
38. **पंचायत समिति, आसींद :** 10 ग्राम पंचायतें (बदनोर, भात्सी, भोजपुर, चैनपुरा, चतरपुरा, जालरिया, कटार, मोगर, ओझियाणा, रतनपुरा (भा)) **भीम :** 10 ग्राम पंचायतें (बाघाना, बली, बरार, भीम, डूंगरखेड़ा, कोकेरखेड़ा, कुशलपुरा, समेलिया, थानेटा एवं टोगी) **देवगढ़ :** 10 ग्राम पंचायतें (आंजना, जीरण, कालेसारिया, कुन्दवा, माद, नाराणा, पारडी, सागवास, स्वादड़ी और ताल) **मांडल :** 10 ग्राम पंचायतें (भभाना, धुवाला (के), गोवर्धनपुर, करेड़ा, मोटा का खेड़ा, नरेली, निम्बाहेड़ा जाटन, सेनुन्दा, शिवपुर और उमेरी) **मारवाड़ जंक्शन :** 10 ग्राम पंचायतें (बनसोर, भगोडा, बोरनदी, बोरीमदा, चोकड़ीया, झिन्झाड़ी, कनटलिया, फुलड, सारण और सिरीयारी) और **राजसमंद :** 10 ग्राम पंचायतें (बामन टुकारा, भाना, भटोली, भावा, बोराज, फरारा, महसतियो की मदरी, मुन्डोल, पासून्द और पीपाली अचरीयान)।

अन्तर की पहचान की गई और न ही समग्र ग्रामीण विकास कार्य योजना तैयार की गई थी। अग्रेतर, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्रत्याशित योजना, जल-निकासी योजना मय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/समेकित परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार नहीं की गई थी। ग्रामीण विकास विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (अप्रैल 2017) कि वित्त विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति नहीं दी गई थी।

2.2.3 वित्तीय प्रबंधन

यह योजना राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित थी। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार, 50 प्रतिशत राशि का आंवटन गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष किया जाना था तथा शेष 50 प्रतिशत राशि[39] का आंवटन जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर क्षेत्र की साक्षरता दर को राज्य की साक्षरता दर से घटाने के आधार पर किया जाना था। 50 प्रतिशत राशि की प्रथम किश्त को वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में जारी किया जाना था और द्वितीय किश्त को पूर्व वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि के 90 प्रतिशत एवं वर्तमान वर्ष में हस्तांतरित राशि के 60 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात जारी किया जाना था। इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य पाये गए थे :

2.2.3.1 निधियों का उपयोजन

(i) अवधि 2012-17 के दौरान राज्य स्तर पर निधियों के आंवटन एवं व्यय को **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.13

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**वर्ष के दौरान आंवटित निधि**		**कुल उपलब्ध निधियां**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**	**कुल उपलब्ध निधि के निमित व्यय का प्रतिशत**
		राज्य सरकार	**अन्य प्राप्तियां**				
2012-13	21.1	20.00	0.02	41.12	1.56	39.56	3.79
2013-14	39.56	50.00	0.04	89.60	24.26	65.34	27.08
2014-15	65.34	49.65	0.03	115.02	16.83	98.19	14.63
2015-16	98.19	38.66	0.04	136.89	34.47	102.42	25.18
2016-17	102.42	44.03	0.01	146.46	56.17	90.29	38.35
योग		**202.34**	**0.14**		**133.29**		**21.81**

39. (राज्य की साक्षरता दर - जिले की साक्षरता दर) X जिले में ग्राम पंचायत की संख्या X 100 / कुल आंवटित राशि।

अवधि 2012-17 के दौरान व्यय 3.79 प्रतिशत से 38.35 प्रतिशत तक विस्तारित था। इसके परिणामस्वरुप मार्च 2017 तक अव्ययित शेष राशि ₹ 90.29 करोड़ अनुपयोगी रहा।

जांच की गई जिला परिषदों में 2012-17 के दौरान आवंटित राशि और किए गए व्यय के स्थिति को निम्न **तालिका 2.14** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.14

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान आंवटित निधि		कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अन्तिम शेष	कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत
		राज्य सरकार	अन्य प्राप्तियां				
2012-13	19.45	17.97	0.02	37.44	0.78	36.66	2.08
2013-14	36.66	44.93	0.04	81.63	20.95	60.68	25.66
2014-15	60.68	44.62	0.01	105.31	13.43	91.88	12.75
2015-16	91.88	34.37	0.01	126.26	29.08	97.18	23.03
2016-17	97.18	39.65	0.00	136.83	52.63	84.20	38.46
योग		**181.54**	**0.08**		**116.87**		**20.40**

स्त्रोत : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार।

अवधि 2012-17 के दौरान व्यय 2.08 प्रतिशत से 38.46 प्रतिशत तक विस्तारित था। वृहद् अव्ययित राशि ₹ 84.20 करोड़ मार्च 2017 तक अनुपयोगी रही।

जिला परिषद, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद ने अवगत कराया (मई-अगस्त 2017) कि कार्यों की धीमी प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करने के कारण निधियों का कम उपयोग हुआ।

(ii) उपयोगिता प्रमाण-पत्र /पूर्णता प्रमाण-पत्र जमा कराना और द्वितीय किश्त जारी करना :

जिला परिषद, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2017 तक राशि ₹ 48.92 करोड़[40] के उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र बकाया थे। इसके बावजूद ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पांच जिलों[41] को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना राशि ₹ 19.15 करोड़ जारी कर दी गई थी।

ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया (अप्रैल 2017) कि चल रहे कार्यों को पूर्ण करने के लिए द्वितीय किश्त को जारी करना आवश्यक था। उपयोगिता

40. राजसमंद : ₹ 26.13 करोड़, भीलवाड़ा : ₹ 16.63 और पाली : ₹ 6.16 करोड़।
41. अजमेर : ₹ 1.11 करोड़, भीलवाड़ा : ₹ 2.70 करोड़, पाली : ₹ 2.70 करोड़, राजसमंद : ₹ 11.43 करोड़ और चित्तौड़गढ़ : ₹ 1.21 करोड़।

प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना द्वितीय किश्त के आंवटन के संबंध में, दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के संबंध में उत्तर मूक है।

(iii) निधियों का विपथन : आधारभूत संरचनाओं के लिए आरक्षित ₹ 99.17 करोड़[42] राशि के आवंटन के विरुद्ध कोई व्यय नहीं हुआ था। तथापि, इन निधियों में से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत, जो एक पृथक राज्य पोषित योजना थी, जल निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹ 4.84 करोड़ वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में आंवटित की गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान को निधियों के विपथन की पुष्टि की (अप्रैल 2017)।

(iv) इलेक्ट्रोनिक निधि प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन नहीं करना : संशोधित दिशा-निर्देश, 2015 के पैरा 11.4 के अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रोनिक निधि प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है और आवश्यक प्रशिक्षण राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग एवं चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि न तो वित्तीय नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रोनिक निधि प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मौजूद थी और न ही प्रशिक्षण दिया गया था।

(v) असमायोजित अग्रिम

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 215(2) प्रावधित करता है कि कार्य या अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम को तीन माह के भीतर समायोजित किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राशि ₹ 44.11 करोड़[43] माह मार्च 2017 तक विभिन्न कार्यों हेतु कार्यकारी अभिकरणों के पास बकाया थी। तथ्यों को स्वीकारते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया (मई 2017) कि समस्त जिला परिषदों को बकाया अग्रिमों के निर्धारित समय में समायोजन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.2.4 निष्पादन

ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना (निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को शामिल करते हुए) पंचायत समिति को प्रस्तुत की जाती है और पंचायत समिति की समेकित वार्षिक योजना, प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के लिए आगे जिला परिषद को अग्रेषित की जाती है वार्षिक योजना संबंधित जिला परिषद द्वारा अनुमोदित की जानी थी।

42. 2015-16: ₹ 49.67 करोड़ और 2016-17: ₹ 49.50 करोड़, राशि ₹ 19.83 करोड़ (2015-16: ₹ 9.93 करोड़ और 2016-17: ₹ 9.90 करोड़)।
43. जिला परिषद, अजमेर : ₹ 1.35 करोड़, भीलवाड़ा : ₹ 8.68 करोड़, चित्तौड़गढ़ : ₹ 0.23 करोड़, पाली : ₹ 5.38 करोड़ और राजसमंद : ₹ 28.47 करोड़

2.2.4.1 भौतिक निष्पादन

2012-17 के दौरान, नमूना जांच किए गए जिलों की 241 ग्राम पंचायतों में ₹ 195.46 करोड़ के 4,772 कार्य स्वीकृत किए गए। जांच की गई जिला परिषद भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद द्वारा 4,772 कार्यों में से ₹ 194.53 करोड़ के 4,716 कार्यों की जानकारी दी गई।

2012-17 के दौरान ग्रामीण सम्पर्क मार्ग हेतु ₹ 91.81 करोड़[44] के 2,272 कार्य (48 प्रतिशत) के साथ स्वास्थय हेतु ₹ 39.15 करोड़[45] के 829 कार्य (17 प्रतिशत), शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु ₹ 29.37 करोड़[46] के 738 कार्य (16 प्रतिशत), स्वच्छता हेतु ₹ 21.10 करोड़[47] के 454 कार्य (10 प्रतिशत), ऊर्जा हेतु ₹ 1.29 करोड़[48] के 56 कार्य (एक प्रतिशत) और अन्य गतिविधियों हेतु ₹ 11.81 करोड़[49] के 367 कार्य (आठ प्रतिशत) स्वीकृत किए गए। जांच की गई तीन जिला परिषदों भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में यह पाया गया कि :

(i) 2012-17 के दौरान स्वीकृत 4,772 कार्यों में से ₹ 76.43 करोड़ के 1,493 कार्य (31.29 प्रतिशत) अपूर्ण थे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अन्य दो मगरा क्षेत्र जिलों (जिला परिषद चितौड़गढ़ और अजमेर) की भौतिक निष्पादन की सूचना मांगे जाने (अप्रैल 2017) के पश्चात भी उपलब्ध नही करवायी गयी। जांच की गई जिला परिषदों ने अवगत कराया (मई-अगस्त 2017) कि कार्यों की धीमी प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों/पूर्णता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत न करने के कारण कार्य अपूर्ण रहे।

(ii) जिला परिषद भीलवाड़ा और राजसमंद में 2012-16 की अविध के दौरान सोलर लाईट लगाने/सीमेंट कंक्रीट सड़क, चारदीवारी, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आदि

---

44. **ग्रामीण सम्पर्क मार्ग** - (2,272 कार्य : ₹ 91.81 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (744 कार्य : ₹ 28.62 करोड़), पाली (196 कार्य : ₹ 9.92 करोड़) और राजसमंद (1,332 कार्य : ₹ 53.27 करोड़)।
45. **स्वास्थ्य** - (829 कार्य : ₹ 39.15 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (307 कार्य : ₹ 10.69 करोड़), पाली (60 कार्य : ₹ 3.15 करोड़) और राजसमंद (462 कार्य : ₹ 25.31 करोड़)।
46. **शिक्षा और चिकित्सा** - (738 कार्य : ₹ 29.37 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (191 कार्य : ₹ 7.84 करोड़), पाली (42 कार्य : ₹ 1.78 करोड़) और राजसमंद (505 कार्य : ₹ 19.75 करोड़)।
47. **स्वच्छता** - (454 कार्य : ₹ 21.10 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (81 कार्य : ₹ 3.64 करोड़), पाली (119 कार्य : ₹ 6.11 करोड़) और राजसमंद (254 कार्य : ₹ 11.35 करोड़)।
48. **ऊर्जा** - (56 कार्य : ₹ 1.29 करोड़), जिला परिषद भीलवाड़ा (50 कार्य : ₹ 1.13 करोड़) और पाली (छः कार्य : ₹ 0.16 करोड़)।
49. **अन्य गतिविधि** - (367 कार्य : ₹ 11.81 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (182 कार्य : ₹ 5.49 करोड़), पाली (21 कार्य : ₹ 0.94) और राजसमंद (164 कार्य : ₹ 5.38 करोड़)।

हेतु ₹ 2.71 करोड़[50] के 90 कार्य संबंधित जिला परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए थे। तत्पश्चात विवादित कार्य स्थल, अन्य योजनाओं में निष्पादित कार्य, दोहरी स्वीकृति और तकनीकी समस्याओं की शिकायतों के कारण इन कार्यों को रद्द कर दिया गया था।

(iii) जिला परिषद भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में अवधि 2012-16 के दौरान संबंधित जिला परिषदों द्वारा स्वीकृत 591 कार्य[51] पूर्णता की नौ महीने की निर्धारित अवधि के अंतराल के बाद भी अपूर्ण रहे, जबकि मार्च 2017 तक इन कार्यों पर ₹ 23.47 करोड़ व्यय हो चुका था। जिला परिषद पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद ने अवगत कराया (अप्रैल-अगस्त 2017) कि कार्यों की धीमी प्रगति के कारण कार्य अपूर्ण रहे।

(iv) जिला परिषद राजसमंद ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अमेट में अवधि 2016-17 के दौरान राशि ₹ 61 लाख के पांच कार्यों[52] को जिला परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जो कि अमेट दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम या ग्राम पंचायत में अधिसूचित नहीं थे। जिला परिषद राजसमंद ने अवगत कराया (अप्रैल 2017) कि अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य स्वीकृत किए गए थे। प्रत्युत्तर युक्ति-युक्त नही है, क्योंकि योजना की परिधि से अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किए गए थे।

(v) जिला परिषद भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में सीमेंट कंक्रीट सड़क/पेवर इंटर-लॉकिंग ब्लॉक सड़क मय जल-निकास हेतु नाली के ₹ 1.29 करोड़[53] की लागत के 29 कार्य स्वीकृत किए गए थे। यद्यपि उपरोक्त 29 सड़क कार्यों के अनुमानों में जल-निकास हेतु नालियों के प्रावधान किए गए थे, लेकिन इन कार्यों में सड़कों को बिना नालियों के निर्माण के ₹ 1.23 करोड़[54] के व्यय के साथ पूरा किया गया था।

(vi) जिला परिषद, राजसमंद में, सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निमार्ण हेतु स्वीकृत अनुमान में सीमेंट कंक्रीट की दो परतों, 1:4:8/1:3:6 एवं 1:2:4 के प्रावधान के

---

50. जिला परिषद, राजसमंद : 2012-13 (23 कार्य): ₹ 0.70 करोड़, 2013-14 (नौ कार्य): ₹ 0.24 करोड़, 2014-15 (19 कार्य): ₹ 0.51 करोड़ और 2015-16 (सात कार्य): ₹ 0.32 करोड़ और भीलवाड़ा (32 कार्य): ₹ 0.94 करोड़।
51. जिला परिषद, राजसमंद (354 कार्य): ₹ 13.13 करोड़, पाली (101 कार्य): ₹ 4.62 करोड़ और भीलवाड़ा (136 कार्य): ₹ 5.72 करोड़।
52. चार दीवारी का निर्माण (दो कार्य): ₹ सात लाख और दुकान का निर्माण (तीन कार्य): ₹ 54 लाख।
53. जिला परिषद, भीलवाड़ा (आठ कार्य): ₹ 0.37 करोड़ और पाली (छः कार्य): ₹ 0.37 करोड़ और राजसमंद (15 कार्य): ₹ 0.55 करोड़।
54. जिला परिषद, भीलवाड़ा (आठ कार्य): ₹ 0.36 करोड़ और पाली (छः कार्य): ₹ 0.34 करोड़ और राजसमंद (15 कार्य): ₹ 0.53 करोड़।

साथ राशि ₹ 46 लाख[55] के नौ सड़क निमार्ण कार्य स्वीकृत किए गए थे (अगस्त 2013-दिसम्बर 2014)। माप-पुस्तिका के अनुसार सड़कों का निमार्ण सड़कों की लम्बाई (तीन सड़कों), चौड़ाई और मोटाई (छः सड़कों) को बढ़ाकर, दो परतों के स्थान पर केवल सीमेंट कंक्रीट की 1:2:4 एक परत बिछायी गयी। जिला परिषद, राजसमंद ने प्रत्युत्तर नही दिया।

2.2.4.2 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन

जांच की गई 60 ग्राम पंचायतो के 1,604 कार्यों में से 292 कार्यों[56] का कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और ग्राम पंचायत सचिव के साथ लेखापरीक्षा द्वारा सयुंक्त भौतिक सत्यापन (मई-सितम्बर 2017) किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे वर्णित है :

(अ) गैर-निष्पादित मदों के लिए भुगतान

जिला परिषद, भीलवाड़ा और राजसंमद में संबंधित जिला परिषदों द्वारा अवधि अगस्त 2013 से दिसम्बर 2014 तक सीमेंट कंक्रीट सड़क मय नालियों/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/पेवर इन्टर-लॉकिंग ब्लॉक सड़क, सीमेंट कंक्रीट की दो परतों के प्रावधान सहित ₹ 27.50 लाख के लागत के पांच कार्य स्वीकृत किए गए थे। इन सड़क कार्यों को ₹ 27.50 लाख के व्यय के साथ पूर्ण किया गया था। प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट (सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क के लिए आधार परत) में गैर-निष्पादित कार्यों के लिए राशि ₹ 9.63 लाख का भुगतान किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट-VII*** में दर्शाया गया है। पंचायत समिति, भीम, देवगढ़, मांडल और राजसंमद द्वारा तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कार्य के मूल्यांकन के बाद कार्य पूर्णता-प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार, जिला परिषद, भीलवाड़ा पाली और राजसंमद में सीमेंट कंक्रीट सड़क मय जल-निकास हेतु नालियों/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/इन्टर-लॉकिंग ब्लॉक सड़क निर्माण हेतु राशि ₹ 49 लाख के आठ कार्य स्वीकृत किए गए (अगस्त 2013-अगस्त 2015) एवं ₹ 47.81 लाख के व्यय के साथ पूर्ण किए गए (सितम्बर 2013-जून 2016)। ₹ 8.49 लाख का अनियमित भुगतान उन कार्यों के लिए किया गया जिनको निष्पादित नही किया था तथापि माप-पुस्तिका मे दर्ज किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट-VIII*** में दर्शाया गया है।

ध्यान में लाए जाने (जून-सितम्बर 2017) पर पंचायत समिति आसींद, भीम, देवगढ़, मांडल, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

---

55. पंचायत समिति, भीम (पांच कार्य): ₹ 33 लाख, कुम्भलगढ़ (तीन कार्य): ₹ 11 लाख और खम्नोर (एक कार्य): ₹ दो लाख।
56. 292 कार्य: (जिला परिषद, भीलवाड़ा : 120 कार्य, पाली : 41 कार्य और राजसमंद : 31 कार्य)।

(ब) जिला परिषद भीलवाड़ा एवं राजसंमद में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क मय जल निकास हेतु नालियों/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/इन्टर-लॉकिंग ब्लॉक सड़क के आठ कार्यों हेतु राशि ₹ 53.00 लाख स्वीकृत किए गए (अगस्त 2013-अगस्त 2015) एवं राशि ₹ 52.64 लाख के व्यय के साथ पूर्ण किए गए (जनवरी 2014-जनवरी 2016)। यह पाया गया कि माप-पुस्तिका में दर्ज सड़क की लम्बाई वास्तव में निष्पादित मात्रा से काफी अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.94 लाख का अनियमित भुगतान हुआ जैसा कि ***(परिशिष्ट-IX)*** में दर्शाया गया है।

ध्यान में लाए जाने पर पंचायत समिति भीम, देवगढ़, मांडल और राजसमंद द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया (मई से सितम्बर 2017)।

(i) सृजित परिसम्पत्तियों का अनुपयोग

(अ) जिला परिषद, भीलवाड़ा और राजसंमद में आयुर्वेद और पुस्तकालय भवन, सरकारी उप-स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर और सामुदायिक केन्द्र आदि के निर्माण के 17 कार्य, लागत राशि ₹ 0.90 करोड़ फरवरी 2012 से जून 2015 में स्वीकृत एवं ₹ 0.84 करोड़ के व्यय के साथ जनवरी 2013 से मार्च 2017 तक पूर्ण किए गए ***(परिशिष्ट-X)***।

यह पाया गया था कि ये आयुर्वेद और पुस्तकालय भवन, सरकारी उप-स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर और सामुदायिक केन्द्र उपयोग में नहीं लाए जाने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

आयुर्वेद भवन का निर्माण
(ग्राम पंचायत चेनपुरा - पंचायत समिति आसिंद)
जिला परिषद भीलवाड़ा

ग्राम भगवानपुरा में पुस्तकालय भवन का निर्माण
(ग्राम पंचायत ओझियाना - पंचायत समिति आसिंद)
जिला परिषद भीलवाड़ा

(ब) जिला परिषद, भीलवाड़ा, पाली और राजसंमद में भू-स्तर जलाशय और पानी के टैंक, पाइप-लाईन के बिछाने और जोड़ने सहित के सात कार्य, लागत राशि ₹ 24 लाख स्वीकृत (सितम्बर 2013-सितम्बर 2016) एवं राशि ₹ 22.91 लाख के व्यय से पूर्ण किए गए (दिसम्बर 2013 - दिसम्बर 2016) विवरण ***(परिशिष्ट-XI)*** में दर्शाया गया है।

यह पाया गया था कि भू-स्तर जलाशय और पानी के टैंक का निर्माण पानी के स्त्रोत को सुनिश्चित किए बिना किया गया था और इसलिए निर्माण के बाद से अनुपयोगी रहे।

(स) जिला परिषद, भीलवाड़ा में लिफ्ट सिंचाई योजना का एक कार्य, मोटर टैंक कनेक्शन एवं भू-स्तर जलाशय के साथ लागत राशि ₹ आठ लाख सितम्बर 2013 में स्वीकृत किया गया (ग्राम पंचायत सेनूड़ा, पंचायत समिति मांडल)। माह जुलाई 2017 तक भू-स्तर जलाशय एवं पाइप-लाईन के बिछाने पर ₹ पांच लाख व्यय किए गए। सब-मर्सिबल मोटर पम्प सेट को न लगाने के कारण लिफ्ट सिंचाई योजना अनुपयोगी पड़ी थी। ध्यान में लाए जाने पर पंचायत समिति मांडल द्वारा सब-मर्सिबल मोटर पम्प सेट नहीं लगाए जाने के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया (सितम्बर 2017)।

(द) जिला परिषद पाली में ग्राम पंचायत बोरनाड़ी, बोरीमाड़ा, झिन्झारी और सारण (पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन) में 2013-14 के दौरान 58 सोलर लाईट[57] राशि ₹ 12.68 लाख की लागत से क्रय की एवं लगाई गई। यह पाया गया कि राशि ₹ 58 में से ₹ 11.59 लाख की 53 सोलर लाईट[58] जनवरी 2015 से खराब पड़ी थी। ग्राम पंचायत बोरनाड़ी, बोरीमाड़ा, झिन्झारी और सारण ने अवगत कराया (अगस्त 2017) कि रख-रखाव के अभाव और धन की कमी के कारण सोलर लाईट खराब पड़ी थी। प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जैसा कि अनुच्छेद 2.2.4.3 में बताया गया है कि रख-रखाव के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध थी।

(य) जिला परिषद पाली में ग्राम पंचायत भागोरा एवं फुलाड (पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन) एवं जिला परिषद राजसमंद में ग्राम पंचायत भगाना (पंचायत समिति भीम) में रपट एवं रास्ते के सुदृढीकरण, आंगनबाड़ी केन्द्र और राजीव गांधी सेवा केन्द्र की चारदीवारी के निर्माण के तीन कार्य[59] लागत राशि ₹ 8.75 लाख स्वीकृत (नवम्बर 2012-सितम्बर 2013) एवं राशि ₹ 6.01 लाख के व्यय के साथ पूर्ण (मार्च-अक्तुबर 2013) किए गए। यह पाया गया कि सभी तीनों कार्य जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे।

(ii) स्वीकृत स्थान के बजाए अन्य स्थान पर कार्यों का निष्पादन

(अ) ग्राम पंचायत, मुंडोल (पंचायत समिति, राजसंमद) मे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से भील बस्ती, ग्राम पुथोल तक सीमेन्ट कंक्रीट सड़क मय जल निकास हेतु नाली का निर्माण कार्य, माह दिसम्बर 2013 में राशि ₹ पांच लाख स्वीकृत एवं

57. ग्राम पंचायत, बोरीमादा (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख, बारन्दी (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख, झीन्झरी (28 सोलर लाईट): ₹ 6.14 लाख और सारण (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख।
58. ग्राम पंचायत, बोरीमादा (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख, बारन्दी (पाँच सोलर लाईट): ₹ 1.09 लाख, झीन्झरी (28 सोलर लाईट): ₹ 6.14 लाख और सारण (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख।
59. ग्राम पंचायत, फुलाद (रपत और रास्ता की लम्बाई का निर्माण) ₹ तीन लाख, भगोरा (आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण): ₹ 3.75 लाख और बाघाना (राजीव गांधी सेवा केन्द्र की चार दीवारी का निर्माण): ₹ दो लाख।

राशि ₹ पांच लाख का व्यय कर पूर्ण किया गया। यह पाया गया कि सीमेन्ट कंक्रीट सड़क स्वीकृत स्थान अर्थात राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से भील बस्ती, ग्राम पुथोल के बजाए भील बस्ती से बयान माता मंदिर तक बनाई गई। ध्यान में लाए जाने पर पंचायत समिति राजसंमद ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया (मई 2017)।

(ब) जिला परिषद भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत भभाना, (पंचायत समिति, मांडल) में राजकीय माध्यिमक विद्यालय में दो कमरे, बरामदे सहित हाल का निर्माण कार्य मार्च 2015 में राशि ₹ 10 लाख स्वीकृत एवं राशि ₹ 10 लाख का व्यय कर नवम्बर 2016 में पूर्ण किया गया। यह पाया गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय के परिसर के स्थान पर ग्राम पंचायत भभाना में दो कमरे, बरामदे सहित हाल का निर्माण किया गया। पंचायत समिति, मांडल ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया (सितम्बर 2017)।

2.2.4.3 परिसम्पत्तियों का संधारण

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के अनुच्छेद 24.3 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों का विवरण एक पंजिका (विकास पंजिका) में प्रत्येक जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना अपेक्षित है। अग्रेतर संशोधित दिशा-निर्देशों (2015) का अनुच्छेद 7.5 भी प्रावधित करता हैं कि उपलब्ध निधियों का 15 प्रतिशत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, संरक्षण, मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण पर उपयोग किया जाएगा।

चयनित जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि :

(i) अवधि 2012-17 के दौरान जांच की गई जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में सृजित की गयी परिसम्पत्तियों की पंजिका का संधारण नहीं किया जा रहा था।

(ii) अवधि 2015-17 के दौरान, परिसम्पत्तियों के संरक्षण, संधारण, मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 10.49 करोड़ (आंविटत निधि ₹ 69.95 करोड़[60] का 15 प्रतिशत) की निधियां उपलब्ध थी। तथापि, पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद कोई संरक्षण कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। राज्य सरकार का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित रहा (मार्च 2018)।

60. 2015-17 के दौरान जांच की गई जिलों को आवंटित निधि (जिला परिषद राजसमंद): ₹ 38.89 करोड़, (भीलवाड़ा): ₹ 21.90 करोड़ और (पाली): ₹ 9.16 करोड़।

2.2.5 अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सामाजिक लेखापरीक्षा

2.2.5.1 जिला स्तरीय क्षेत्रीय विकास समिति

संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 10.2 प्रावधित करता है कि जिला स्तरीय क्षेत्रीय विकास समिति का गठन किया जाना था। यद्यपि, समिति का जिला परिषद, भीलवाड़ा एवं पाली में गठन किया गया परन्तु जिला परिषद, राजसंमद में योजनानुसार वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु अपेक्षित समिति का गठन नहीं किया गया।

2.2.5.2 योजना का मूल्यांकन एवं प्रभावी अध्ययन

संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 6.9 प्रावधित करता है कि मगरा क्षेत्र के रहने वाले ग्राम समुदाय का सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रभावी अध्ययन कर मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित था। ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2012-17 के दौरान मगरा क्षेत्र में रहने वाले ग्राम समुदाय का सामाजिक-आर्थिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए प्रभावी अध्ययन नही किया गया। इस प्रकार, ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजना के प्रभावों को सुनिश्चित नही किया जा सका।

2.2.5.3 कार्यों का निरीक्षण

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के अनुच्छेद 16.2 और 16.3 प्रावधित करते हैं कि प्रत्येक स्तर पर कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सहायक अभियन्ता, जिला परिषद के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, अधिशाषी अभियन्ता एंव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाएगा एवं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण पंजिका संधारित की जानी चाहिए थी।

अवधि 2012-17 से संबंधित आवधिक निरीक्षणों के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। यद्यपि, चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने अवगत कराया (अप्रेल-सितम्बर 2017) कि आवधिक निरीक्षण करवाए गए थे। प्रत्युत्तर युक्ति-युक्त नही था, क्योंकि ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंजिकाएं संधारित नही की गई थी।

2.2.5.4 तृतीय पक्ष निरीक्षण

संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 6.6 प्रावधित करता है कि मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अंर्तगत निष्पादित कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण किया

जाना था। ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया तृतीय पक्ष का निरीक्षण नही किया गया था। इस प्रकार, तृतीय पक्ष के निरीक्षण के अभाव में कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित नही किया जा सकता था। राजस्थान सरकार एवं जांच की गई जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा तथ्य स्वीकार किए गए।

2.2.5.5 योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7(i) प्रावधित करती है कि ग्राम पंचायत की वार्ड सभा, क्षेत्र में कार्यान्वित समस्त कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग, के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अवधि 2012-17 के दौरान मगरा क्षेत्रीय विकास योजना का सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं कराया गया। राजस्थान सरकार, द्वारा तथ्य स्वीकार (अप्रैल 2017) किए गए।

2.2.5.6 जीपीएस/जीपीआरएस के माध्यम से कार्यों का अनुश्रवण

संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 6.5 प्रावधित करता है कि योजना के अंर्तगत निष्पादित कार्यों का अनुश्रवण ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस)/जनरल पैकेट रेडिया सर्विस (जीपीआरएस) जैसी आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि योजना के अंर्तगत निष्पादित कार्यों के अनुश्रवण हेतु (जीपीएस)/(जीपीआरएस) जैसी किसी भी आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार (अप्रैल 2017) किए गए।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.3 बकाया किराए की वसूली का अभाव

पंचायत समिति, शिव (बाडमेर) बकाया किराया ₹ 89.13 लाख की वसूली में विफल रहा।

राजस्थान पंचायती राज नियमों, 1996 का नियम 164 नियत करता है कि तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक स्थल अधिकतम तीन वर्ष के लिए खुली निविदा द्वारा पट्टे पर दिए जा सकते हैं। ऐसे परिसर को किराए पट्टे पर देने हेतु अनुबंध किराया राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की शर्त सम्मिलित होगी। पंचायत और पंचायत समिति तीन वर्ष की अवधि के विस्तार के मामले पर समझौता कर सकती है, परन्तु ऐसे प्रकरण में, पारस्परिक सहमति से किराया राशि में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी। यदि परिसर तीन वर्ष की अवधि के पश्चात खाली नहीं किए जाते है अथवा अनुबंध की शर्तो के

उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दिए जाते है अथवा नियमित रूप से किराया जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित पंचायत अथवा पंचायत समिति द्वारा निवेदन किए जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिसर की बेदखली हेतु कारण बताओ नोटिस देने के बाद परिसर को खाली करवा सकता है।

पंचायत समिति, शिव (बाड़मेर) के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2017) में प्रकट हुआ कि 16 दुकानों को मई 2001 से अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान नीलामी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को किराए पट्टे पर दिया गया था। व्यक्तियों को दुकानें अलग-अलग तिथियों एवं विभिन्न दरों पर किराए पर दिया गया था। जनवरी 2017 तक किराए की कुल देय राशि ₹ 114.81 लाख[61] के विरूद्ध केवल ₹ 25.68 लाख (22.37 प्रतिशत) की वसूली की गई थी। विभाग ने दोषियों से सरकारी बकाया की वसूली हेतु न तो कोई कार्यवाही की एवं न ही दुकानों के आवंटन की दिनांक से तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् अनुबंध की अवधि वृद्धि/दुकानों को खाली कराने हेतु कोई कदम उठाया। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2017 तक बकाया किराया राशि ₹ 89.13 लाख लम्बित रही (***परिशिष्ट-XII***)।

लेखापरीक्षा टिप्पणी (जनवरी 2017) के प्रत्युतर में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिव ने अवगत कराया कि दुकानों को खाली करवाने की कार्यवाही की जाएगी और सरकारी मतालबा वसूली अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किराया वसूल किया जाएगा।

इस प्रकार, विभाग किराएदारों से बकाया किराया ₹ 89.13 लाख (77.63 प्रतिशत) की वसूली में विफल रहा एवं नियमानुसार तीन वर्षों के पश्चात भी दुकानों को खाली कराने की कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित (मई 2017) किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2018) है।

2.4 छात्रावासों के निर्माण पर निष्फल व्यय

जिला परिषद, सवाई माधोपुर में छात्रावास भवनों (ईसरदा और बामनवास) के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप छात्र उचित छात्रावास सुविधाओं से वंचित रहे।

जिला आयोजना समिति, सवाई माधोपुर ने तीन स्थानों पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से छात्रावास भवन निर्माण का निर्णय लिया (सितम्बर 2009)। तदनुसार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ईसरदा (₹ 60 लाख), बामनवास (₹ 60 लाख) और शिवाड़ (₹ 60 लाख) में छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु राशि

61. प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं आवंटन के तीन वर्ष के पश्चात प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि की गणना कर राशि परिणामित की गई।

₹ 1.80 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी (अक्टूबर 2010) की थी। प्रत्येक छात्रावास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 25 छात्रों को समायोजित करना था, जो की वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में किराए पर रहते थे।

जिला परिषद, सवाई माधोपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2016) में प्रकट हुआ कि :

- शिवाड़ छात्रावास भवन का निर्माण ₹ 60 लाख की लागत से पूर्ण हुआ और फरवरी 2014 में सौंप दिया गया।

- लोक निर्माण विभाग द्वारा ईसरदा में छात्रावास भवन का निर्माण ट्यूब-वेल की खुदाई और चारदीवारी सहित ₹ 60 लाख के व्यय के साथ पूर्ण (अगस्त 2010) किया गया, तथापि, ट्यूब-वेल में पानी नहीं था और निधियों के अभाव के कारण चारदीवारी का कार्य अनिष्पादित था। लोक निर्माण विभाग के अनुसार (मई 2016), शेष कार्यों (ट्यूब-वेल और चारदीवारी) को पूर्ण करने की लागत ₹ 11.48 लाख थी। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना को 2015 के पश्चात् समाप्त कर दिया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पानी की सुविधा और चारदीवारी के अभाव में छात्रावास भवन को लेने से इन्कार कर दिया, छात्रावास अभी तक अप्रयुक्त पड़ा है (जुलाई 2017)।

छात्रावास भवन, ईसरदा	*छात्रावास भवन, बामनवास*

- बामनवास में छात्रावास भवन का निर्माण छत के स्तर तक पूर्ण (सितम्बर 2011) किया गया था एवं ₹ 25.75 लाख के व्यय पश्चात अपूर्ण (जून 2017) पड़ा था। लोक निर्माण विभाग के अनुसार (जुलाई 2015), शेष कार्यों को पूर्ण करने की लागत ₹ 34.25 लाख थी।

इस प्रकार, दोनों छात्रावास भवन छः वर्षों से अधिक समय तक अपूर्ण थे, ईसरदा और बामनवास के छात्र छात्रावास सुविधाओं से वंचित रहे। छात्रावास भवनों को पूर्णरूप से पूरा करने के आवश्यक निधि उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रभावी कार्यवाही नहीं की।

राज्य सरकार ने तथ्यों का स्वीकारते (फरवरी 2018) हुए अवगत कराया कि प्रकरण का निपटारा किया जा रहा है।